



उत्तर प्रदेश

नगरीय

स्वच्छता नीति

2013

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	उत्तर प्रदेश में नगरीयकरण की स्थिति	1-1
2.	नगरीय गरीबी एवं स्वच्छता	2-7
3.	उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वच्छता का दृष्टिकोण	8-8
4.	स्वच्छता नीति के उद्देश्य	9-9
5.	स्वच्छता नीति के महत्वपूर्ण बिन्दु	10-11
6.	स्वच्छता नीति के सिद्धान्त	12-12
7.	उत्तर प्रदेश नगरीय स्वच्छता नीति के निर्देशक सिद्धान्त	13-15
8.	रणनीति (अ) राज्य स्तरीय संस्थागत व्यवस्था (ब) नागर निकाय स्तर पर संस्थागत व्यवस्था	16-16
9.	विधिक आयाम	17-17
10.	स्वच्छता योजना हेतु वित्तीय प्रबन्धन	18-19
11.	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी)	20-20
12.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	21-22
13.	समीक्षा एवं मूल्यांकन	23-23
14.	सेवा स्तर और व्यापकता सूचकांक	24-24
15.	सेवा दक्षता सूचकांक	25-25
16.	नगरीय क्षेत्रों की समीक्षा हेतु प्रक्रिया एवं यंत्र	26-26
17.	नगरीय स्वच्छता योजना	27-27
18.	नगरीय स्वच्छता टास्क फोर्स	28-30
19.	मूल आंकड़ों का संग्रह और डेटाबेस/जीआईएस/इन्फॉर्मेशन सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट का सृजन	31-33
20.	प्रगति की समीक्षा एवं मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण	34-34
21.	शत प्रतिशत (100 %) स्वच्छता स्तर की समीक्षा	35-35
22.	नगरीय पुरस्कार योजनायें	36-36
23.	प्रादेशिक पुरस्कार योजनायें	37-37
24.	सम्पूर्ण स्वच्छ नगरों की अवधारणा	38-38
25.	नगरों के चयन प्रक्रिया का मूल आधार एवं दक्षता	39-40
26.	नगरों की रेटिंग और श्रेणी निर्धारण	41-42
27.	नगरों का रंग कोड : श्रेणियां	43-43
28.	विशिष्ट एवं मानद पुरस्कार	44-44
29.	स्वच्छता नीति का समापन	45-45

अध्याय-1

उत्तर प्रदेश में नगरीयकरण की स्थिति

उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। यह प्रदेश पिछले तीन दशकों में इसकी नगरीय जनसंख्या में हुयी अत्यधिक वृद्धि का साक्षी रहा है। 1971-81 के मध्य दशकीय वृद्धि लगभग 60.62 प्रतिशत थी, जो कि देश का उच्चतम प्रतिशत था। 1981-91 के दौरान यह वृद्धि लगभग 38.97 प्रतिशत रही जो उड़ीसा के बाद दूसरे स्थान पर था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, प्रदेश का प्रत्येक पाँचवा व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में रहता है। प्रदेश की नगरीय जनसंख्या, जो 1961 में मात्र नब्बे हजार थी, 2001 में बढ़कर 3 करोड़ 45 लाख हो गयी हैं, तथापि प्रदेश में नगरीयकरण की प्रगति अन्य कई प्रदेशों की तुलना में कम बतायी गयी हैं।

2. वर्ष 2001 में प्रदेश की 20.78 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती पायी गयी। 1991-2001 के मध्य नगरीय जनसंख्या में 2.84 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुयी। वर्ष 1901 में नगरीय समूह एवं नगरों की संख्या केवल 349 बतायी गयी, जबकि यह संख्या वर्ष 2001 में बढ़कर 670 हो चुकी है। 10000 से 50000 के मध्य की जनसंख्या वाले अधिकतर नगरों एवं शहरो को संवर्ग III एवं संवर्ग IV की श्रेणी में रखा गया है। तथापि, नगरीय जनसंख्या बड़े नगरों एवं शहरों में संकेद्रित है।

3. प्रदेश में नगरीयकरण के प्रवाह की स्थिति तालिका-1 के माध्यम से दर्शायी गयी है।

तालिका-1 उत्तर प्रदेश में नगरीयकरण का प्रवाह:-

जनगणना का वर्ष	नगरीय समूह एवं नगरों की संख्या	नगरीय जनसंख्या (करोड़ में)	नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	दशकीय वृद्धि(%)	वार्षिक वृद्धि (%)
1901	349	0.52	11.20	-	-
1911	350	0.47	10.26	-9.61	-1.01
1921	367	0.47	10.61	0.16	0.02
1931	375	0.53	11.28	13.24	1.24
1941	385	0.67	12.52	26.06	2.31
1951	410	0.82	13.65	21.86	2.31
1961	215	0.90	12.81	9.26	0.88
1971	256	1.16	13.90	29.72	2.60
1981	298	1.87	17.83	60.89	4.76
1991	631	2.60	19.68	38.52	3.26
2001	670	3.45	20.78	32.88	2.84

आधार : भारतीय जनगणना 2001, उत्तर प्रदेश

अध्याय-2

नगरीय गरीबी एवं स्वच्छता

नगरीय उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा में रहने वालों का आकलन 31% है। सुनिश्चित तौर पर कहा जाये तो यह प्रदेश 1.1 करोड़ नगरीय गरीबों के साथ भारतवर्ष में नगरीय गरीबों की सबसे अधिक संख्या अपने में समेटे हुये हैं। इस पर केवल गरीबी का भारी बोझ ही नहीं है, बल्कि यह प्रदेश अन्य सामाजिक संकेतकों के संबंध में भी देश के अन्य प्रदेशों से निचले पायदान पर हैं। योजना आयोग द्वारा जारी की गयी मानवीय विकास प्रतिवेदन (Human Development Report) 2001 के अनुसार इस प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों का मानवीय विकास सूचनांक (HDI) देश के अन्य प्रदेशों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के नगरीय क्षेत्रों के मानवीय विकास सूचनांक की तुलना में निम्नतम स्तर पर हैं।

2. उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज एवं स्वच्छता दोनों को ही संख्या सर्वथा अपर्याप्त हैं। वास्तव में प्रदेश का कोई भी नगर सभी उदगमों के लिये सीवरेज की सुसाध्यता इस समय सुनिश्चित नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि वृहत्तम नगर निगम भी इनके पुराने लक्ष्यों के पूरा करने में अभी काफी पीछे हैं। इस कारण प्रदेश की जनसंख्या का अत्यन्त छोटा अनुपात ही सीवरेज की सुसाध्यता से आच्छादित हो पाया है। नगर पंचायतों, में आधी से अधिक जनसंख्या को नगर निगम सीवरेज योजना उपलब्ध हो पायी है। वास्तव में प्रदेश में केवल 55 ऐसे नगर हैं जिनमें आंशिक सीवर योजना उपलब्ध है और यह भी जनसंख्या वृद्धि के भारी दबाव के कारण पंगु होता जा रहा है।

3. प्रदेश में नगरीय स्वच्छता (सीवरेज/सैनीटेशन/शौचालय) की स्थिति तालिका-2 के माध्यम से दर्शायी गयी है।

तालिका-2 उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वच्छता की स्थिति :-

विवरण	भारत-वर्ष (%)	उत्तर प्रदेश
वर्ष 2001 में शौचघरों की उपलब्धता	73.72	80.01
शौचघरों के प्रकार-2001		
1) गढ़ड़ा शौचघर	14.60	8.07
2) जलयुक्त शौचघर	46.12	31.98
3) अन्य शौचघर	13.00	39.96
4) पूर्ण प्राविधान	73.72	80.01
5) शून्य प्राविधान	26.28	19.99
परिवारों द्वारा शौचालयों का प्रयोग (1998)		
1) परिवार के एकमात्र प्रयोग के लिये	61.9	65.6
2) एक निश्चित संख्या के परिवारों द्वारा प्रयोग के लिये	29.2	25.3
3) सामुदायिक प्रयोग के लिये	7.4	8.0
शौचालयों की उपलब्धता (1998)		
1) परिसर के अंदर	89.2	97.4
2) 0.5 कि०मी० के अंदर	8.3	2.1
3) 0.5 कि०मी० से दूर	0.5	-

3. प्रदेश में अपशिष्ट जल की उत्पादकता 18725 लाख लीटर प्रतिदिन बतायी गयी, केवल 55 जिलों में आंशिक सीवर प्रणाली की सुसाध्यता है और ऐसे 51 नगरों जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, में से 14 नगर ऐसे हैं, जिनमें सीवरेज प्रणाली बिल्कुल नहीं है। विभिन्न रिवर ऐक्शन प्लान्स के अन्तर्गत निर्मित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बिल्कुल ही अपर्याप्त संख्या में है। इन प्लान्टों की क्षमता केवल 7955.4 लाख लीटर प्रतिदिन बतायी गयी है। इस प्रकार उत्पादित हो रहे अपशिष्ट जल का केवल 2/5 भाग ही जल समूह में समापन से पूर्व परिष्कृत किया जा पा रहा है।
4. प्रदेश में नगरीय अपशिष्ट जल का उत्पादन एवं परिष्कृत की स्थिति तालिका-3 के माध्यम से दर्शायी गयी है।

तालिका-3 अपशिष्ट जल का उत्पादन एवं परिष्कृत किया जाना

क्रमांक	योजना एवं नगर का नाम	अपशिष्ट जल का उत्पादन (लाख लीटर प्रतिदिन में)	निर्मित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की संख्या	सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की कुल क्षमता (लाख लीटर प्रतिदिन में)	परिष्कृत अपशिष्ट जल का प्रतिशत
अ- गंगा ऐक्शन प्लान					
1	फर्रुखाबाद	90.00	1	27.00	30
2	कानपुर	3710.00	3	1710.0	46
3	इलाहाबाद	2100.00	1	600.00	29
4	वाराणसी	3090.00	3	1018.00	33
5	मिर्जापुर	230.00	1	140.00	61
	उप-योग	9220.00	9	3495.00	38
ब- यमुना ऐक्शन प्लान					
1	सहारनपुर	550.00	1	380.00	69
2	मुजफ्फरनगर	500.00	1	325.00	65
3	गाजियाबाद	1500.00	3	1290.00	86
4	नोएडा	700.00	3	700.00	100
5	वृंदावन	125.00	2	45.00	36
6	मथुरा	300.00	2	45.00	36
7	आगरा	2120.00	3	902.50	43
8	इटवा	170.00	1	100.00	59
	उप-योग	5965.00	16	4022.50	67
स- गोमती ऐक्शन प्लान					
1	लखनऊ	3450.0	1	420.0	12.1
2	सुल्तानपुर	70.0	1	17.00	24.2
	उप-योग	3520.0	2	437.00	12.4
	महायोग	18705.0	27	7955.40	42.5

5. तथापि, लगभग 20 प्रतिशत नगरीय परिवारों के आवासों में शौचालय की सुविधा नहीं है और राष्ट्रीय स्तर पर यह आँकड़ा थोड़ा उच्चस्तर पर अंकित हुआ (26.28 प्रतिशत)। उत्तर प्रदेश राज्य में, लगभग 2/5 शौचालय को अन्य प्रकार के शौचालय की श्रेणी का बतलाया गया

है, जिसमें गढ़वा शौचालयों एवं जलयुक्त शौचालय को छोड़कर सर्विस शौचालय एवं अन्य प्रकार के शौचालय शामिल है। लगभग एक तिहाई शौचालय ऐसे बताये गये हैं जिनके जलयुक्त शौचालय में प्रक्षालन हौद (Flushing Cistern) लगी हुयी है। ऐसे शौचालय, जिन्हें सेप्टिक टैंक अथवा भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जोड़ा जा सकें, को भी जलयुक्त शौचालयों की श्रेणी में रखा गया है। इन प्रकार के शौचालयों से मलसामग्री बिना झाड़ू लगाये निकाली जाती है। दिसम्बर 2005 से जनवरी 2006 के मध्य कराये गये नवीनतम सर्वे के अनुसार, प्रदेश में सूखे शौचालयों की संख्या 2,92,112 है। लगभग 50,000 अति कमजोर वर्ग (EWS) के मकानों में कोई शौचालय की सुविधा नहीं है।

6. 1998 के दौरान परिवारों द्वारा शौचालयों के प्रयोग से यह बात सामने आयी कि अधिकांश परिवार शौचालय को केवल अपने प्रयोग में लेते हैं (65.60 प्रतिशत), जब कि एक चौथाई परिवार शौचालय की सुविधा का दूसरे परिवारों के साथ बँटकर प्रयोग करते हैं। केवल 8 प्रतिशत परिवार सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते हैं। इससे साफ जाहिर है कि एक समुदाय की देखरेख में 'भुगतान करो व प्रयोग करो' पद्धति पर चलने वाले शौचालयों के निर्माण की कितनी संभावना है। पुनः अधिकांश परिवारों द्वारा बताया गया कि उन्हें, उनके भवन के परिसर के अंदर ही शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

7. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत वर्ष के लगभग 22 प्रतिशत नगरीय परिवारों के पास जल-निकासी (Drainage) की सुविधा नहीं थी, तथापि, यह आँकड़ा उत्तर प्रदेश में 7.62 प्रतिशत जितने निचले स्तर तक अंकित हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकांश नगरीय परिवारों के पास खुली जल-निकासी की व्यवस्था थी (65.91 प्रतिशत), जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आँकड़ा काफी नीचे रहा (42.37 प्रतिशत)। प्रदेशीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः लगभग 26.46 प्रतिशत एवं 34.50 प्रतिशत नगरीय परिवारों ने अपने घरों में जल-निकासी की सुविधा को बन्द कर दिया था।

8. प्रदेश में नगरीय जल निकासी (ड्रेनेज/स्टार्म वाटर ड्रेनेज) एवं कूड़े-कचरे के निस्तारण (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट) की स्थिति तालिका-4 के माध्यम से दर्शायी गयी है।

तालिका-4 नगरीय उ0प्र0 में जल निकासी सुविधा एवं कूड़ा-कचरा का

निस्तारण:-

क्रम सं०	विवरण	भारत-वर्ष (%)	उत्तर प्रदेश
1	बन्द जल-निकासी	34.50	26.46
2	खुली जल निकासी	43.37	65.91
3	शून्य जल निकासी	22.13	7.62
घरों से कूड़ा-कचरा हटाने की व्यवस्था (1998)			
1	स्थानीय प्राधिकरण	1.37	14.4
2	निवासियों के मध्य निजी व्यवस्था	11.9	14.5
3	परिवारिक सदस्य	71.2	69.0
4	अन्य व्यवस्था	3.2	2.1

कूड़ा-कचरा को हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने की व्यवस्था			
1	मानव निर्मित गद्दे के लिए बायो-गैस प्लान्ट	14.0	0.4
2	सामुदायिक क्षेपण बिन्दु	47.2	35.0
3	परिवारों के निजी क्षेपण बिन्दु	29.6	32.2
4	अन्य	21.7	32.4

9. नगरीय स्थानीय निकायों की मुख्य जिम्मेदारी घरों से निकले कूड़ा-कचरा को हटा देने की है, तथापि परिवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे घरेलू कूड़ा-कचरा को इकट्ठा करने में स्वच्छता कर्मचारियों का सहयोग करें। नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सामुदायिक स्तर पर रखवाये गये सामुदायिक धानियों से कूड़ा-कचरा नगर निगमीय कर्मचारी एकत्र करते हैं। घरेलू क्षेत्रों से कूड़े के उचित एकत्रीकरण का कोई प्राविधान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में असरकारी संगठन एवं सामुदायिक संगठन घर-घर से कूड़ा इकट्ठा कराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। परिवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे असरकारी संगठनों के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करने के लिए उपभोक्ता शुल्क का भुगतान करें। इकट्ठा किये गये कूड़े का अधिकतम भाग को, आज तक, खुले स्थान पर ढेर कर दिया जाता है और बमुश्किल एक प्रतिशत कूड़े का खाद बनाया जाता है। यहाँ तक कि इकट्ठा किये गये कूड़े के ढेर की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है जो पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिये मुश्किले पैदा करता है।

10. उत्तर प्रदेश में दूषित जल एवं वायु से उत्पन्न होने वाले रोगों का विस्तार तालिका-5 में दर्शाया गया है। स्वच्छता एवं कूड़ा तथा मानव उत्सर्जन के निकासी के उचित प्रबन्धन के अभाव में दूषित पानी से उत्पन्न अनेक रोग रूग्णता एवं मर्त्यता के कारण बनते हैं। ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में ऐसे रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार स्वच्छता के स्तर को सुधारना अत्यावश्यक हो गया है। व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ाने हेतु पर्यावरण स्वास्थ्य को सुधारा जाना सबसे अधिक मूल्य प्रभावी साधन (Cost Effective Means) है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य की देखभाल को सुधारें जाने से नगरों में रोगों के बोझ को 44 प्रतिशत तक रोका जा सकता है। तथापि आने वाले वर्षों में घटिया स्वच्छता की समस्या और अधिक गंभीर हो जायेगी क्योंकि शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है।

11. प्रदेश में नगरीय जल एवं वायु जनित रोगों एवं उनसे हुयी मृत्यु के कारण की स्थिति तालिका-5 के माध्यम से दर्शायी गयी है।

तालिका -5 उत्तर प्रदेश में जल एवं वायु जनित रोगों को होना-

रोग	रोग होने की संख्या	बतलायी गयी मृत्यु की संख्या
डायरिया (1998)	564587	405
कॉलरा (2000)	-	-
मलेरिया (2001)	94524	15
जापनी इन्सेफलाइटिस (2002)	604	133
हेपेटाइटिस (2001)	988	24
डेंगू 11	-	-
आंत्र ज्वर (1998)	20929	23

12. नगरीयकरण के बढ़ने के साथ पानी एवं स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग बढ़ती रही है जो कि नगरीयकरण के तेजी से बढ़ते कदम के साथ और बढ़ेगी किन्तु सुविधा देने हेतु जिम्मेदार लोग इस बढ़ती मांग के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं। जहाँ एक तरफ अपर्याप्त स्वच्छता सेवाओं के कारण खुले में मलोट्सर्जन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ स्वच्छता सेवाओं का दयनीय प्रबन्धन होना ये दोनों नगरीय रहन सहन के अत्यन्त नाजुक पहलू बने हुये हैं जिसके कारण पर्यावरणीय एवं जन स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिलतायें उत्पन्न हो रही है। गरीब एवं गंदी बस्ती में रहने वाले, स्वच्छता सुविधा तक उनकी पहुँच न होने के कारण, सबसे बुरे तरीके से कष्ट उठाते हैं। वे अपना स्वयं का शौचालय कई कारणों से नहीं बना सकते जैसे उनके निवास का अनाधिकृत प्रकृति का होना, जगह की कमी या वित्तीय दबाव के कारण।

13. नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता की कमी आंशिक तौर पर जनता की उदासीनता एवं निवासियों के स्वास्थ्य पर इससे पड़ने वाले अनेक महत्वपूर्ण कुप्रभावों का ज्ञान न होने के कारण है। स्वच्छता की दशा एवं बच्चों के मर्त्यता के बीच सम्पूर्ण सम्बन्ध, जल-जनित रोगों तथा कालरा एवं प्लेग जैसे भयंकर रोगों के बारे में नगरीय समूह को शायद ही मालूम हो पाता है जब कि वे अपने ग्रामीण प्रतिपक्ष की तुलना में अधिक शिक्षित होते हैं। सूरत में फैले अनर्थकारी प्लेग ने एक साधारण धबराहट अवश्य उत्पन्न किया था लेकिन फिर भी भारत सरकार को बैधानिक नियमों की आवश्यकता को कार्यरूप दिलाने में, जो वर्ष 2000 में लागू हुयी, उच्चतम न्यायालय स्तर तक कई वार सुनवाई करानी पड़ी। इस कारण साफ सुथरा शहर होने के सकारात्मक एवं नाकारात्मक पहलुओं के बारे में जनता में, जागरूकता लाने के लिये एक मजबूत घटक बनाये जाने की आवश्यकता है।

14. कई कारणों से प्रदेश में नगरीय स्वच्छता की स्थिति वांछित मानकों के अनुरूप नहीं है। इसके मुख्य-मुख्य कारण निम्न हैं:-

- ❖ सुरक्षित स्वच्छता के संबंध में नागरिकों की अज्ञानता।
- ❖ पूर्ण स्वच्छता परिणाम प्राप्त करने के लिये समुचित योजना की कमी।
- ❖ नगरीय स्थानीय निकायों के अन्दर पूर्ण स्वच्छता की योजना बनाने एवं उसे संचालित करने हेतु पर्याप्त सामर्थन का न होना।
- ❖ तकनीकी विकल्पों के प्रति लचर ज्ञान।
- ❖ सेवा-प्रबन्धकों का कमजोर उत्तरदायित्व और
- ❖ उचित अधिनियम की कमी।

15. राष्ट्रीय दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुये उ0प्र0 के समस्त शहरों एवं नगरों को पूर्ण रूप से स्वच्छ, स्वस्थ एवं जीवन्त होना है और सभी नागरिकों के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिणाम सुनिश्चित करना तथा बनाये रखना है।

16. मूल स्वच्छता की परिभाषा है "मानव-उत्सर्जन को एकत्र करना, ले जाना, परिष्कृत करना एवं निपटाना जिससे रोगों से बचाव हो सके एवं एकान्तता व गरिमा की रक्षा हो सके। यह परिभाषा पूर्ण स्वच्छता के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर इंगित करती है, जो है, मानव उत्सर्जन का 100 प्रतिशत सुरक्षित परिरोध, पंक को सुरक्षित ढोकर ले जाना एवं पंक का 100 प्रतिशत सुरक्षित ट्रीटमेन्ट व निपटाना/पुनर्प्रयोग जब तक इन तीनों मूलतत्वों को पूर्ण तरह से

एवं वैज्ञानिक तरीकों से सरनामित एवं लगातार प्रबन्धित नहीं किया जायेगा, क्या हम पूर्ण स्वच्छता की स्थिति तक पहुँच सकते हैं।

17. यह परिभाषा स्वच्छता प्रबन्धकारिणी की कार्यवाही जन स्वास्थ्य, मानव गरिमा व एकान्तता और पर्यावरण को सुरक्षित रखना के परिणामों को इंगित करती है। अतः स्वच्छता के परिणामों का अनुश्रवण आवश्यक तौर पर जनस्वास्थ्य, गरिमा व एकान्तता तथा पर्यावरणीय सुरक्षा/संरक्षण जैसे मुद्दों की ओर केन्द्रीभूत होना चाहिये।

18. नगरीय क्षेत्र में पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किये गये अधिकतर प्रयास शहरी स्तर के होते हैं जबकि नगरीय स्थानीय निकायों को इन कार्यवाहियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिये।

19. अतः यह सही रूप में कहा जा सकता है कि स्वच्छता नीति मुख्यरूप से तरल एवं ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित उपयोग और उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में स्वस्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी देने की ओर केन्द्रीत है। स्वच्छता शब्द की विशद् व्याख्या की जाये तो यह शब्द सफाई, स्वास्थ्य विज्ञान, तरल एवं ठोस अपशिष्ट का उचित एकत्रीकरण एवं उसके पर्यावरणीय मजबूत प्रयोग को अपने में समेटे हुये हैं इस उद्यम में, अपशिष्ट का घटाया जाना उसका पुर्नप्रयोग, पुर्नचक्र और उपभोग व उत्पादन पद्धति की प्रवृत्ति में बदलाव अन्य अवश्यकरणीय है जिससे सहने योग्य पर्यावरण बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकें। यह पुनः पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण को शामिल करने का लक्ष्य रखती है।

अध्याय-3

उ0प्र0 में नगरीय स्वच्छता का दृष्टिकोण

सभी नगरीय क्षेत्र (शहर और नगर) पूर्णतया स्वच्छ, स्वस्थ एवं जीवन्त हो जायें और नगरीय गरीबों की स्वास्थ्य-विज्ञान व स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच पर विशेष जोर के साथ सभी नागरिकों के लिए अच्छा जन-स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय परिणामों को बनाये रखें।

2. स्वच्छता नीति का लक्ष्य है, उ0प्र0 की जनता के जीवन के गुणवत्ता को उपर उठाने के लिये समुचित स्वच्छता विस्तार उपलब्ध कराना तथा स्वस्थ जीवन के लिये आवश्यक प्राकृतिक पर्यावरण उपलब्ध कराना।

अध्याय-4

स्वच्छता नीति के उद्देश्य

- ❖ खुला एवं विकृतिमुक्त पर्यावरण सुनिश्चित करना ।
- ❖ स्वच्छता सेवाओं की बुनियादी स्तर तक जन-जन की पहुँच बनाना जिसमें स्वच्छतापूर्ण शौचालय की प्रत्येक घर, जन-संस्थानों एवं मुख्य जन-स्थानों में स्थापना तथा धनी आबादी वाले क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों की स्थापना का कार्य सम्मिलित हो ।
- ❖ नगरीय गरीबों एवं असेवित परिवारों (मलीन बस्तियों सहित) एवं व्यक्तियों की शौचालयों तथा सामान्य स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच बनाना एवं उनके द्वारा इनका प्रयोग किया जाना ।
- ❖ यायावर एवं संस्थानिक जनसंख्या (Floating & Institutional Population) की शौचालयों तक पहुँच बनाना एवं उनके द्वारा इनका प्रयोग किया जाना ।
- ❖ खुले में मल उत्सर्जन समाप्त होना ।
- ❖ मानव द्वारा उत्सर्जित समस्त अपशिष्ट का सुरक्षित एकत्रीकरण एवं निस्तारण ।
- ❖ उत्पन्न हुये समस्त सीवेज का सुरक्षित एकत्रीकरण ट्रीटमेंट और निस्तारण एवं उच्चतम क्षमता तक उसका रिसायकिल एवं पुनर्प्रयोग किया जाना ।
- ❖ भूमि भराव हेतु म्यूनिसिपल टोस अपशिष्ट ढोकर ले जाना, पृथक्करण एवं ट्रीटमेन्ट की मात्रा 20% से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
- ❖ शहरी अपशिष्ट से शहरी सीमा के बाहरी क्षेत्रों में हानिकर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये ।
- ❖ समस्त नागरिकों के लिये सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- ❖ बाढ़ के पानी का पर्याप्त मात्रा में एकत्रीकरण एवं निस्तारण ।
- ❖ शहरी एवं क्षेत्रीय योजना नीतियों, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आवासीय एवं शिक्षा के साथ स्वच्छता योजनाओं को जोड़ना एवं संगठित करना ।
- ❖ एक प्रभावी संस्थानिक एवं वित्तीय ढाँचा के कमविकास हेतु दिशानिर्देश विकसित करना ।
- ❖ सभी स्तर पर सरकारी एजेन्सियों एवं साझेदारों की क्षमता को बढ़ाना जिससे बेहतर स्वच्छता मिल सके, विशेष तौर पर राष्ट्रीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय स्तर पर जल-जनित बीमारियों, औद्योगिक, दैवीय एवं अस्पतालों व निदानगृहों से निकले अपशिष्ट से होने वाले कृप्रभावों से बचाव हो सकें और स्वच्छता के प्रयोग के प्रति रवैया एवं व्यवहार में बदलाव लाना ।
- ❖ स्वच्छता एवं सामुदायिक संचरण के प्रति समूहों में जानकारी बढ़ाना ।

अध्याय-5

स्वच्छता नीति के महत्पूर्ण बिन्दु

- ❖ स्वच्छता सेवाओं के लिये बेहतर सेवायें देने वाले राज्यों में एक होने के बावजूद 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य के 43,64,213 नगरीय परिवारों में से 33.07 प्रतिशत परिवारों के पास किसी प्रकार की शौचालय की सुविधा नहीं है।
- ❖ ऐसे 80.01 प्रतिशत परिवारों में जिनके पास शौचालय है, 11.07 प्रतिशत के पास गढ़वा शौचालय है, 31.98 प्रतिशत जलयुक्त शौचालय का प्रयोग करते हैं, एवं शेष (29.96 प्रतिशत) सेवा शौचालय का प्रयोग करते हैं।
- ❖ सेवा शौचालय का प्रयोग करने वाले परिवारों एवं बिना शौचालय के परिवारों का योग नगरीय परिवारों का 7.6 प्रतिशत यह मानते हुये है कि मोटे तौर पर इन परिवारों का 8 प्रतिशत सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करता है।
- ❖ इसके अलावा, ऐसे परिवार भी हैं जिनकी शौचालय सुविधा तक पहुँच होने के बाद भी स्वच्छता के पूरे चक्र जैसे तरल अपशिष्ट को एकत्र करना, ढोकर ले जाना एवं उसका निपटारा करना, के कुछ पहलुओं से वंचित रहते हैं।
- ❖ गंदी बस्ती में रहने वाले तथा गरीब लोगों द्वारा नगर निगम द्वारा बनवाने गये सामुदायिक शौचालयों का समान्यतया प्रयोग किया जाता है।
- ❖ श्रेणी-1 के शहरों में स्पष्ट रूप से ज्यादा परिवारों के पास जलयुक्त एवं गढ़वा शौचालय होने के कारण ये शहर बेहतर स्थिति में हैं। नगर जितने छोटे होते जाते हैं, बिना उचित शौचालय सुविधा वाले परिवारों की संख्या का औसत उतना ही बढ़ता जाता है।
- ❖ उ0प्र0 के नगरीय स्थानीय निकायों में दूरस्थ प्रणाली वाले सीवरेज तन्त्र शायद ही मौजूद हो और केवल 8.83 प्रतिशत परिवार ही आंशिक सीवर प्रणाली से जुड़े हुये हैं।
- ❖ नगर निगमीय क्षेत्रों के अधिकतर परिवार नजदीकी सेप्टिक टैंक प्रणाली के शौचालयों गढ़वा शौचालयों और सेवा प्रणाली शौचालयों सहित कुछ प्रकार के अस्वच्छ शौचालयों से जुड़े हुये हैं।
- ❖ जन-अधिकारियों द्वारा चलायमान जनता के लिये बनवाये गये जन-शौचालयों की संख्या सर्वथा अपर्याप्त है और इन शौचालयों की शायद ही अच्छे तरीके से देख रेख की जाती है।
- ❖ इसके बदले में, निजी एजेंसियों द्वारा बनवाये गये "भुगतान करो और प्रयोग करो पद्धति वाले शौचालय बहुत ही व्यवसायिक प्रणाली से चलाये जाते हैं किन्तु इनकी संख्या बहुत कम है।
- ❖ नगरीय स्थानीय निकायों के स्तर पर अपशिष्ट जल-निकासी व्यवस्थाओं में से अधिकतर नितान्त अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण हैं।
- ❖ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो मौजूद हैं, अपर्याप्त अपशिष्ट जल-प्रवाह एवं अधिक विद्युत-लागत जैसे अनेक कारणों से अपनी पूर्ण क्षमता से नहीं संचालित किये जाते हैं।

- ❖ सेप्टिक टैंक के पंक का निस्तारण नगरीय स्थानीय निकायों के लिये एक बड़ी समस्या है। इसका कारण नगरीय निकाय के पास पर्याप्त संख्या में हौदी स्वच्छकों का अभाव एवं खाई खोदने हेतु भूमि का अभाव है।
- ❖ जटिल एवं अंशछादित संस्थानिक (Partially Covered Institution) प्रणालियों से योजना को लागू करने में विलम्ब और समन्वयन न होने की समस्या उत्पन्न होती है।
- ❖ नगरीय स्थानीय निकायों, जो वैधानिक रूप से परिवारों को जल एवं स्वच्छता सुविधायें प्रदान करने के लिये जिम्मेदार है, में कर्मचारियों की कमी, ढाँचागत अपर्याप्तता, तकनीकी एवं वित्तीय समस्याएँ होने के दबाव से पीड़ित होने के कारण वांछित स्तर तक स्वच्छता सेवाएँ प्रदान करने में उनके लिये समस्या उत्पन्न होती है।
- ❖ निजी संस्थाएँ एवं एन0जी0ओ0 अपर्याप्त संख्या में स्वच्छता के कार्य में लगी हैं, उनकी दर केवल सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट (SWM) तक ही सीमित है और उनके द्वारा कुछ "भुगतान करो व प्रयोग करो" पद्धति वाले शौचालयों का संचालन किया जा रहा है।
- ❖ अपशिष्ट को असुरक्षित तरीके से निस्तारित करने से पर्यावरण बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। नगरीय क्षेत्रों में उच्च जैविक मात्राओं एवं रोगजनक स्तर वाली सीवरेज की बहुत अधिक मात्रा में उत्पत्ति होती है किन्तु लगभग सभी नगरीय निकाय में समुचित ट्रीटमेन्ट सुविधा का अभाव है। बिना परिष्कृत किये हुये नगरीय सीवरेज की निकासी से नदियों के प्रदूषण का 70 प्रतिशत भाग प्रभावित है।
- ❖ स्वच्छता सेवा व्यवस्था की सम्पूर्ण कड़ी में सफाई कर्मचारीगण अति संवेदनशील समूह हैं उनके कार्य की दशाएँ, सुरक्षा की आवश्यकता, संबंधी जटिलताओं के संबंध में अधिकारियों द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है।
- ❖ स्कूलों में स्वच्छता की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता, सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को शौचालयों के निर्माण के लिये पर्याप्त धन नहीं मिलता । अधिकतर स्कूलों में स्वास्थ्य- विज्ञान की शिक्षा के संबंध में अलग से पाठ्यक्रम नहीं है।
- ❖ सामुदायिक सम्मिलन पूर्ण रूप से नगण्य है।

अध्याय-6

स्वच्छता नीति के सिद्धान्त

- ❖ स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, जो मानव का मूलभूत अधिकार हो, को उन्नत करना और जो उचित एवं सुरक्षित स्वच्छता के बिना नहीं किया जा सकता।
- ❖ निम्न के द्वारा दीर्घकालीन विकास का लक्ष्य प्राप्त करना:-
 - 1- जो मौजूद है उसे मजबूत करना, स्थानीय साधनों को चलायमान करना जो कि उपलब्ध साधनों में ही संस्थाओं एवं समुदायों की क्षमता को बढ़ाकर लागू किया जा सकता है।
 - 2- समुदायों, एन0जी0ओं0 और औपचारिक व अनौपचारिक खंडों द्वारा स्वच्छता प्राविधान/विस्तार के संबंध में किये जा रहे प्रयास की भूमिका को समझना, स्वीकार करना एवं उसे संभालना।
 - 3- सही कम मूल्य की, आसान एवं मुल्य प्रभावी, तकनीकों को विकसित करके प्रयोग में लेना जो कि व्यवहार्य, खर्च के अंदर और स्थानीय तौर पर समुचित हो और जो स्वदेशी ज्ञान व स्थानीय प्रवीणता पर आधारित हो।
 - 4- सभी सरकारी कार्यक्रमों के लिये कम्पोनेंट शेयरिंग एवं पूर्ण स्वच्छता माडल्स को स्वीकार करें जिससे वित्तीय दीर्घकालीनता एवं समुदाय व निजी क्षेत्रों के विकास में योगदान के साथ-साथ संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) भी सुनिश्चित हो सके।
 - 5- स्वच्छता कार्यक्रमों की प्लानिंग में ओ0एण्डएम0 के लिये जिम्मेदार विभागों एवं समुदायों को साथ में ले, दीर्घकालीन माडल्स के विकास के लिये रिसर्च एवं पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करना जो तरल व ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण पर संकेन्द्रीत हो।
- ❖ प्लानिंग व लागू करने वाली प्रक्रियाओं में औरतों, बच्चों व अपंगों की आवश्यकता को प्रमुखता दी जाये।
- ❖ सभी सार्वजनिक भवनों, रेस्टोरेंट्स, मनोरंजन एवं मन-बहलाव के क्षेत्रों, सामुदायिक हाल, कारखानों आदि में सर्वजनिक प्रयोग के लिये उपयुक्त, समुचित एवं स्वास्थ्यकर डिजाइन वाले शौचालयों का प्राविधान सुनिश्चित हो।
- ❖ मानव उपनिवेश के धनी एवं गरीब तबकों के मध्य स्वच्छता सुविधाओं एवं अवसरों का प्राविधान एवं बँटवारा बराबर-बराबर होना चाहिये। तथापि, उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहाँ पर्यावरण और सामाजिक दबाव सबसे ज्यादा हो।
- ❖ तकनीकी डिजाइन क्षेत्र विशेष के लिये तथा समुदायों की संस्कृति एवं परम्परा के अनुकूल हो।
- ❖ ओ एण्ड एम का खर्च स्थानीय स्तर से सीमित उपभोगता शुल्क के माध्यम से निकाला जाना चाहिये।
- ❖ स्वच्छता कार्यक्रमों एवं प्रोजेक्ट्स को सिटी-प्लानिंग, आवासीय, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक नीति निर्देशो कार्यक्रमों व प्रोजेक्ट्स के साथ समन्वित किया जायेगा।
- ❖ ठोस एवं तरल अपशिष्ट को उचित परिष्करण सुविधाओं के द्वारा सही वातावरण में निस्तारित किया जायेगा।

अध्याय-7

उत्तर प्रदेश नगरीय स्वच्छता नीति के निर्देशक सिद्धान्त

- ❖ सभी नगरीय स्थानीय निकाय अपने सामर्थ्य एवं क्षमता को बढ़ायेगें जिससे वे वर्तमान व्यवस्था (सम्पूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र का मानचित्रण को प्रलेखित करें और वर्तमान स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति एवं ड्रेनेज के ढाँचे व उसकी स्थिति की पहचान करें। उक्त प्रलेखन के आधार पर क्षतिग्रस्त हो चुके ढाँचे को पुनर्स्थापित करने हेतु योजना बनाकर उसे लागू करें। नगरीय निकाय एवं विकास अधिकारियों द्वारा स्वच्छता के कार्य में लिप्त अन्य सभी एजेन्सियों को साथ लेते हुए सभी नगरीय परिवारों के लिये समग्र स्वच्छता योजना विकसित की जायेगी। यह योजना मूलरूप से स्वच्छता सम्बन्धी घटकों के विवरणों पर केन्द्रित होगी और इसके लागू होने को सुनिश्चित करेगी।
- ❖ अस्पतालों, कार्यालयों, पार्कों एवं स्कूलों जैसे जन सुविधाओं वाले स्थानों में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं को अनिवार्य कर देना चाहिये।
- ❖ शौचालयों को पानी से साफ करने हेतु साफ संसाधित पीने योग्य पानी के प्रयोग की आदत को हतोत्साहित किया जायेगा। प्रयोग किया हुआ पानी ही प्लशिंग के काम में लेना होगा। पीपीपी की पहुँच के उद्देश्य के तहत नगरीय निकाय सिद्धहस्त एजेन्सीज/आर्गेनाइजेशनस की सेवायें लें।
- ❖ पानी की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु लगातार जल विषलेषण प्रणाली का बराबर अनुश्रवण करें। पानी की गुणवत्ता के लिए प्रत्येक जल स्रोत की बराबर (प्रत्येक छः माह बाद) जाँच करके उसके परिणाम से जनता को अवगत कराये। आपूर्ति एवं उपभोक्ता स्तर पर पेय जल की गुणवत्ता की नियमित समीक्षा की जानी चाहिये।
- ❖ यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पेय जल नेटवर्क/निजी संयोजन किसी भी नाली या सीवर मैनहोल से होकर न गुजरें।
- ❖ 24x7 निरन्तर पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करना।
- ❖ डम्पिंग स्थल को चिन्हित कर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ❖ नागरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत नागरीय/ग्राम सभा की भूमि बिना मूल्य डम्पिंग स्थल हेतु उपलब्ध कराना।
- ❖ कूड़ा एकत्रीकरण स्थल परिवहन के लिए सुगम हो।
- ❖ नोटिफाइड गंदी बस्तियों में घरों के प्लिन्थ से सड़क की ऊँचाई नहीं बढ़ानी चाहियें जिससे सीवरेज का निस्तारण एवं ड्रेनेज सम्भव हो सके तथा वर्षा के दिनों में बाढ़ की स्थिति न हों।
- ❖ विकसित नियम व नियमकों द्वारा सभी स्वस्थ एवं व्यावसायिक सुविधाओं में प्रभावी अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली को लाया जायेगा। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा एवं ड्रेनेज कार्यक्रमों में पर्यावरणीय स्वास्थ्य एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन को जोड़ा जायेगा।
- ❖ शहरों, नगरों एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट बिखराव वर्जित कर देना चाहिये।
- ❖ निकाय द्वारा कूड़ा इकट्ठा करने वाली ट्रकों की पर्याप्त संख्या को सुनिश्चित करते हुए कूड़े के उचित एकत्रीकरण की व्यवस्था की जायेगी।

- ❖ नगरीय निकाय ठोस अपशिष्ट के मौके पर ही पृथक्करण, पुनः प्रयोग एवं पुनर्चक्र हेतु यन्त्रविन्यास विकसित कराये। भूमि भराव हेतु केवल विषविहीन, बिना जोखिम वाले और जड़ सामग्री जैसे निर्माण मलबा का ही प्रयोग किया जा सकता है। इन भूमि भराव के स्थानों एवं एकत्रीकरण व निस्तारण प्रणाली का प्रबन्धन या तो नगरीय निकाय द्वारा किया जायें अथवा जन निजी साझेदारों द्वारा अथवा निजी सेक्टर को आवंटित कर दिया जायें।
- ❖ वर्तमान व्यवस्थाओं एवं स्वच्छता/ड्रेनेज संबंधी ढांचे का प्रलेखन किये जाने हेतु बुनियादी नक्शों की आवश्यकता पड़ेगी जिसे स्वच्छता से संबंधित एजेन्सीज के द्वारा प्रयोग में लिये जाने हेतु निपुण तकनीशियनों के माध्यम से जी0आई0एस0 पर बनवाया जाना चाहिये जिसमें जिला प्रशासन व नगरीय निकाय भी शामिल हो।
- ❖ बाजार के प्रत्येक अधिकृत स्थान में जन-शौचालय सुविधा अवश्य हो। यह पी0पी0पी0/बी0ओ0टी0 की पहुँच के माध्यम से किया जा सकता है।
- ❖ नगरीय निकाय को स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वच्छता की जानकारी देने के लिये वार्षिक योजना विकसित करनी चाहिये।
- ❖ इन अपराधों के बारे में कम से कम छः माह तक जानकारी देते रहने के बाद इनके लिये सजा व दण्ड कठोर रूप से देनी चाहिये। स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं की सेवायें इस कार्य हेतु ली जा सकती हैं।
- ❖ सामुदायिक संस्था को भागीदारी के लिए प्रोत्साहन हेतु कर छूट प्रदान किया जा सकता है।
- ❖ प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा मुख्य बाजार एवं मुख्य सड़को को रात में बुहारे जाने की व्यवस्था की शुरुआत करनी चाहिये।
- ❖ सभी अधिकृत आवासीय कालोनियों को डम्पर बिन/लिफ्टिंग बिन दी जानी चाहिये। (ऐसी एक बिन 200 घरों के प्रयोग के लिये होनी चाहिये)।
- ❖ स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वच्छता की देखभाल के लिये प्रत्येक वार्ड में वार्ड स्वच्छता कमेटी होनी चाहिये।
- ❖ जीआईएस सर्वेक्षण सम्बन्धित मानचित्र को नियमित रूप से पुनरीक्षित किया जाना चाहिए।
- ❖ म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट/कूड़ा आदि को ढोकर ले जाने के लिये बन्द बाड़ी वाली ट्रक/वाहन ही होना चाहिये।
- ❖ म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट/कूड़ा को नगर निकाय किसी इच्छुक एवं उपयुक्त संस्था को इसे नियमानुसार कम्पोस्टिंग, पुनः प्रयोग एवं पुनः उपयोग हेतु दे सकता है।
- ❖ सभी नगरीय निकाय को आन लाइन शिकायतें दर्ज कराने हेतु और शिकायतों को दूर करने की प्रणाली के लिये आवश्यक कदम उठाने होंगे। न तो निर्णय लेने और न ही योजना बनाने में नागरिकों की कोई हिस्सेदारी रहती है। ठोस अपशिष्ट एकत्रीकरण की क्षमता बड़े मेट्रो शहरों में 70-90 प्रतिशत के मध्य होती है जब कि छोटे शहरों में 50 प्रतिशत से कम स्थानीय निकाय निस्तारण से पूर्व ठोस अपशिष्ट को इकट्ठा करके उसका परिष्करण नहीं कराते हैं जिसके फलस्वरूप शहर के दूरस्थ एवं निचली सतह की भराऊ क्षेत्र में स्थित निस्तारण स्थल भूजल के दूषित होने की ओर अधोमुख हो जाते हैं, और इससे जमीन पर संक्रमक रोग पैदा होते हैं। इस नीति का लक्ष्य है प्रायोगिक संस्थाओं/ Resident Welfare Association एवं जन

संगठनों के माध्यम से समुदायों के बीच जुड़ाव विकसित करने का उपाय करना सभ्य सामाजिक समूह को अनुदान से सहायता देने की आवश्यकता है जिससे वे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सम्पादित करा सकें। (सामुदायिक संचरण एवं स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा को लेते हुये) और वृहद नगरीय ढाचें में गरीबों के पक्ष में विकास की योजनाओं का अनुश्रवण करा सकें। ड्रेनेज सिस्टम के विकास का प्राधिकरण पंचवर्षीय नगरीय योजनाओं के अंश के रूप में होना चाहिये। जन शौचालयों और अन्य जन सुविधाओं की अच्छी गुणवत्ता एवं रखरखाव भावुक एवं प्रभावी लोकतान्त्रिक अभिशासन को इंगित करती है। अतः न्यूनतम सेवा प्राविधानों में सुधारों को प्रदेशीय स्वच्छता नीति के रूप में परिभाषित करना वर्तमान समय की आवश्यकता है।

2. नगरीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विज्ञान उन्नयन के लिये प्रदेशीय नीति में निम्न मुख्य विषय समाहित है:-

- (1) संस्थानिक एवं विधिक ढाँचा
- (2) विधिक विषय
- (3) स्वच्छता योजनाओं को वित्तीय सहायता
- (4) समुदायों की हिस्सेदारी एवं जानकारी बढ़ाना
- (5) जन-निजी साझेदारी (पी0पी0पी0)
- (6) क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण
- (7) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना
- (8) तकनीकी एवं पर्यावरणीय विषय

3. संक्षेप में उत्तर प्रदेश के शहरों को सभी नागरिकों विशेष रूप से औरतें बच्चे व गरीब की सुरक्षित स्वच्छता तक पहुँच सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिये। वास्तव में बदले परिवेश में, स्वच्छता जनता की प्रथम जिम्मेदारी होनी चाहिये।

अध्याय-8 रणनीति

- अ) राज्य स्तरीय संस्थागत व्यवस्था :- नगरीय विकास विभाग राज्यस्तरीय शीर्ष ईकाई होगी जो समस्त दिशा निर्देश देगी और स्वच्छता का उन्नयन करेगी और राज्य नगरीय स्वच्छता नीति (State Urban Sanitation Policy) के लागू होने का निरीक्षण करेगी और ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थलों के लिये मास्टर प्लान में जमीन की उपलब्धता हेतु निशान लगाना एवं जलमल शोधन संयंत्र का अंकन सुनिश्चित करने हेतु विकास अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगी।
- ब) नागर निकाय स्तर पर संस्थागत व्यवस्था :- 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद प्रदेश नगरीय निकाय की केन्द्रीयता को मान्यता प्रदान करता है, इस प्रकार प्रदेश के नगर निकायों से अपेक्षा की जाती है, कि वे पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य तक पहुँचने के लिये स्वच्छता के कार्य में आदि प्रवर्तक (Prime-Mover) बनें। यह देखना आवश्यक है कि पूरी प्रक्रिया सहभागिता परक हो जिसमें समुदायों की प्रभावी सहभागिता हो। सामुदायिक स्तरीय संगठनों जैसे वार्ड कमिटीज, सामुदायिक विकास सोशायटीज को नगरीय स्वच्छता के 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सामुदायिक संचरण (Community Mobilisation) में शामिल करना चाहिये।

अध्याय-9

विधिक आयाम

राज्य की भूमिका कार्य को सुसाध्य बना देने की होगी। राज्य के मूल कार्य निम्न होंगे।

- 1) नगरीय निकाय के लिये स्वच्छता के कार्य को अनिवार्य कर देने हेतु अधिनियमों में संशोधन करना।
 - 2) उपयुक्त मापदण्ड नियत करना।
 - 3) विभिन्न भागीदारों के लिये उनकी भूमिका में अलगाव एवं स्पष्टता झलकने हेतु संस्थाओं की भूमिका को पुनः उत्कृष्ट करना और संस्थानिक पुरस्कारों द्वारा प्रेरक रचनातन्त्र (Incentive Mechanism) को मजबूत करना।
2. नगर निकाय स्तर पर प्रत्येक नगरीय निकाय को पूरी प्रक्रिया से गुजरना चाहिये और स्वच्छता प्रबन्धन की सारी कड़ियों को उनकी जगह पर रखने हेतु एक योजना विकसित करनी चाहियें। योजना के एक भाग के तौर पर शहरों की योजना को कार्यरूप में परिणीत करने के लिये साधन बढ़ाने हेतु तरीकों के बारे में सोचना चाहियें जो कि एक सीमित समय सीमा में हो जायें। बनाये गये सिस्टम्स के आपरेशन एवं ओ0 एण्ड एम0 का अनुश्रवण संबंधी विषयों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहियें।
3. गरीब एवं मलीन बस्ती में रहने वालों में असेवित जनसंख्या तक सेवा पहुँचाने हेतु स्वच्छता को मूल अधिकारों में से एक घोषित करना होगा, जिससे अनाधिकृत उपनिवेशों/लोगों तक शौचालयों की सुविधा पहुँचाने में ULBs को अधिक समस्या न हो।
4. सामुदायिक शौचालय बनाने हेतु जमीन मालिकों/एजेंसी से खरीदी/लीज पर जमीन लेने हेतु ULBs के लिये विधिक प्राविधान किया जाना है।

अध्याय-10

स्वच्छता योजना हेतु वित्तीय-प्रबन्धन

पूर्व में स्वच्छता हेतु परम्परागत तरीके से जनता द्वारा वित्तीय योगदान से साधारणतः घरेलू एवं जन शौचालयों के लिये आर्थिक सहायता प्राप्त हुयी थी, और नगरीय सीवरेज व ठोस अपशिष्ट प्रणालियों के लिये अनुदान प्राप्त होता था। तथापि वर्तमान सोच कहती है कि नगरीय स्वच्छता की वित्तीय सहायता में बदलाव की आवश्यकता है जो आर्थिक सहायता एवं स्वच्छता सुविधाओं हेतु अनुदान से स्वच्छता उन्नयन को फण्ड देने और साधनों को बढ़ाने की ओर अग्रसर हों।

2. अवस्थापना विकास निधि, व्यापार निधि, जेएनएनयूआरएम, यूआईडीएसएसएमटी, यूआईडीएसएसटी और आईएचएसडीपी कार्यक्रमों के अन्तर्गत नगरीय ढाँचों को उन्नत करने हेतु संजीदा प्रयास किये जा रहे हैं, जबकि सस्ती स्वच्छता योजना सूखे शौचालयों को पोर प्लश शौचालयों में बदलने एवं साथ ही साथ गरीबों के लिये शौचालय बनाने के लिये है। इसी प्रकार यूजर चार्जज लगाकर शौचालयों के मरम्मत एवं रखरखाव के लिये साधन संचारित करने की ओर ध्यान दिया गया है। समुदायों द्वारा संचालित शौचघर घर स्वच्छता सेक्टर में सबसे अच्छी व्यवसाय दिखा रहे हैं, क्योंकि ये शौचालय भुगतान करें एवं प्रयोग करो सिद्धान्त पर आधारित है।

3. स्वच्छता के लिये वित्तीय संसाधनों में सामुदायिक साधन बाजार आधारित साधन और नगरीय सोसाइटी आधारित साधन को शामिल किया जा सकता है। तथापि स्वच्छता तक पहुँच को बढ़ाने हेतु सफल वित्तीय सहायता के लिये सरकारी एवं असरकारी विभागों/संगठनों तथा साझीदारों से प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी।

4. वित्तीय सहयोग के लिये ULBs के पास निम्न साधन उपलब्ध है :-

- 1) राज्य का अपना बजट
- 2) JnNURM, UIDSSMT, UIDSST एवं इसकी उप-योजनाओं जैसे BSUP, IHSDP का कोष (इस कोष का कुछ प्रतिशत अनिवार्य रूप से स्वच्छता के कार्य हेतु प्रयोग में लिये जाने का सुझाव है।)

5. निजी संस्थानों से कम दर पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु उनकी खोज की जानी चाहिये।

6. शहर में ऐसे कई परिवार हैं जो निकाय द्वारा उनको दी गयी स्वच्छता सुविधाओं के उपयोग के एवज में कुछ भी भुगतान नहीं करते हैं। यूजर चार्जज की वसूली सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रणाली विकसित करनी होगी।

7. इसके आलावा जानकारी बढ़ाने के लिये छात्र समुदाय का उपयोग किया जाना चाहिये। मलीन बस्ती के स्कूलों के बच्चों में अधिक जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे उनके

द्वारा शौचालयों का प्रयोग किया जा सकें और जिससे वे तब अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित स्वच्छता की आदतों के संबंध में शिक्षित कर सकें।

8. सेवा करने वालों और समुदाय के बीच बेहतर तालमेल पैदा करने के लिये, ULBs को यह सुनिश्चित करना होगा कि 10-15 सदस्यों के साथ एक अपशिष्ट प्रबन्धन कमेटी का गठन हो गया है। इन सदस्यों को चुने हुये प्रतिनिधियों और नगरीय सोसाइटीज के प्रतिनिधियों में से लेना चाहियें (नगरीय सोसाइटीज से 5 सदस्य होने चाहिये जो विद्वान हो और शहर की जानी मानी हस्ती आदि में से हो)।

अध्याय-11

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0)

समुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का गठन होना है। उस स्थिति में स्थानीय क्लब शौचालय के लिये उनकी जमीन का कुछ हिस्सा दे सकते हैं और ULBs इसका बुनियादी ढाँचा तैयार करें। संचालन एवं रखरखाव का कार्य स्थानीय क्लबों को दिया जा सकता है, जिसके लिये उनके द्वारा सेवा शुल्क वसूला जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों (NGOs) को इस संबंध में संचारित करने में सहायता कर सकते हैं। स्वच्छता के लिये सामुदायिक समूहों के लिये कुछ प्रेरणादायक प्रणाली बनायी जानी चाहिये।

2. पी0पी0पी0 साधन संचरण, जिम्मेदारियों कार्यों व साधनों को बाँटने हेतु नया उभर रहा साधन है। स्वच्छता, जल निकासी व जलापूर्ति के संदर्भ में ULB, समुदाय आधारित संगठन स्वयंसेवी संगठन एवं निजी संगठन साझेदार हो सकते हैं। स्वच्छता, जल निकासी एवं जलापूर्ति के प्रोजेक्ट्स को प्रभावी रूप से लागू करना साझेदारों पर निर्भर करता है। इस प्रकार जिम्मेदारियों, कार्यों एवं साधनों को साझेदारों में बाँटना आवश्यक है।

अध्याय-12

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण

क्योंकि क्षमता निर्माण 100 प्रतिशत स्वच्छता प्राप्त करने एवं बनाये रखने की दृष्टि से कठिन है, अतः इस कार्य में दक्ष संस्थानों की सहायता ली जा सकती है, जिससे शहरों को स्वच्छता सम्बन्धी प्रशिक्षण के साथ-साथ वर्तमान तकनीकी संयंत्रों एवं सुविधाओं की जानकारी शीघ्र उपलब्ध करायी जा सकेगी।

- ❖ सफल स्वच्छता नीति के लागू करने के लिये क्षमता-विकास अति आवश्यक है। निपुणता हेतु प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है जिसमें जानकारी बढ़ाने वाले प्रचार एवं स्वास्थ्य-विज्ञान को उन्नत करना शामिल है।
- ❖ जनसंख्या के अति संवेदनशील तबके पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जो कि जल के बहुत बड़े भाग के प्रयोग कर्त्ता, संग्रह कर्त्ता एवं प्रबन्धक हैं अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, औरतें व बच्चे लेकिन यह भी आवश्यकता है, कि इन्हें मापदण्डों से जोड़ा जाये क्योंकि उनके द्वारा सामुदायिक या स्थानीय सरकारी स्तर पर सरकारी या शासकीय जगह को नियन्त्रित किये जाने की अधिक सम्भावना है।
- ❖ समुदायिक स्थानीय या संगठनों को मूल्यांकन की आवश्यकता है और क्षमता-विकास का कार्य प्रारम्भ करने से पहले स्वच्छता सर्वे किया जाना चाहिये जिससे विशिष्ट विषयों की पहचान होगी या ऐसे क्षेत्रों की पहचान होगी जिन्हें ऊपर उठाना है।
- ❖ साझेदारी का विश्लेषण किया जाना चाहिये जिससे यह पता हो सके कि कौन योजना के सॉचे में लिये जाने लायक है। साझेदारों में शामिल हैं:-
 - स्वच्छता सुविधाओं का प्रयोग करने वाले
 - पुर्नसंचरित के प्रयोग कर्त्ता/अपशिष्ट एवं स्वच्छता की स्थितियों से प्रभावित लोग
 - असरकारी संगठन
 - स्थानीय प्राधिकरण, सरकार, नगरीय निकाय
 - स्वच्छता सेवा देने वाले
 - क्षमता विकास करने वाले/शिक्षा एवं प्रशिक्षण सेवा देने वाले
 - रिसर्च संस्थान
 - वित्तीय संस्थान
 - विकासकर्त्ता, निवेशक और परामर्शकर्त्ता
- ❖ सभी क्षमता विकसित करने वाले मापदण्डों को पूरी तरह संघटित किया जाना है, जिसमें उद्यमों की जानकारी स्थानीय समुदाय के सभी वर्गों को, स्थानीय नगरीय निकायों, स्थानीय सरकार के घटकों को देते रहना है और उन्हें भी इसमें संलिप्त होने का मौका देना है।
- ❖ इसी प्रकार, क्षमता विकास में पारस्परिकता होनी चाहिये, मूल स्वास्थ्य- विज्ञान स्वच्छता एवं पीने के पानी की आदतों को सेवा देने व सेवा लेने वालों द्वारा समझ लेना चाहिये। सेवा देने व लेने वालों को जल स्रोत प्रबन्धन एवं अभिशासन (Water Resource Management and Governance) की महत्ता को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये।

- ❖ क्षमता विकास मापदण्ड एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आसानी से सबको उपलब्ध, प्रैक्टिकल एवं आसानी से समझ में आने लायक हो, उवाहरण के लिये कम संख्या में भाग लेने वालों का दो-तीन दिनों का कार्यशाला आयोजित करना, विशेषज्ञों या प्रशिक्षकों के साथ स्थानीय क्षेत्रों का दौरा किया जाना चाहियें जिससे समुदाय या भूमि स्तर के लोगों की प्रतिक्रिया मालूम हो सके।
- ❖ स्वच्छता सुविधाओं और मापदण्डों, जिन्हें विभिन्न संघटित स्वच्छता कार्यक्रमों द्वारा इंगित किया गया है, के पूरे पैकेज को एक साथ संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। इस प्रकार Capacity Building Measures में साधारण निस्तारण के साथ निम्न भी शामिल हो:-
 - नगरीय गरीबों के लिये जन स्वास्थ्य सुविधायें।
 - सामुदायिक शौचालयों का निर्माण।
 - नहाने एवं कपड़ा धोने के क्षेत्र (पुरुष व स्त्री दोनों के लिये अलग-अलग)
 - जलापूर्ति
 - रोशनी की व्यवस्था
 - कूड़ा-प्रबन्धन
 - सीवरेज
 - पहुँच मार्ग
 - साधन बनायें रखना और
 - सुरक्षित प्रयोग
- ❖ Capacity Building Strategies तीन क्षेत्रों से संबंधित होने चाहिये
 - ड्रेनेज, जलापूर्ति और इन सेवाओं तक पहुँच की जानकारी देने जैसी सेवाओं का प्रकार एवं संचालन।
 - स्वच्छता प्रतिष्ठानों, सामुदायिक शौचघरों तथा पानी पिलाने वाले प्रतिष्ठानों का अधिष्ठान, प्रयोग एवं प्रबन्धन और।
 - दैनिक पीने के पानी, स्वास्थ्य-विज्ञान, स्वच्छता एवं अपशिष्ट सम्बन्धी आदतों की जानकारी देना व शिक्षित करना।

अध्याय-13

समीक्षा एवं मूल्यांकन

राज्य एवं नगरीय निकाय दोनों के स्तर से समीक्षा एवं मूल्यांकन किया जाना है। राज्य स्तरीय समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु आँकड़े एकत्र करने की उचित प्रणाली विकसित करना होगा।

2. नगरीय निकाय घरों में सुरक्षित स्वच्छता के प्रयोग तथा स्वास्थ्य व पर्यावणीय संघात का अनुश्रवण कर सकती है। वार्ड कमेटीज तथा स्थानीय क्लबों को नियमित अनुश्रवण के कार्य में, विशेष तौर से बड़े शहरों में, लिया जा सकता है, 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निकाय के जिम्मेदारियों में बदलाव लाया गया है, निर्णयकर्ता (Decision Makers) को एक ऐसी सूचना की अत्यन्त आवश्यकता है जो नगरीय क्षेत्रों द्वारा झेले जा रहे चुनौतियों को उजागर कर सके।

3. दीर्घकालिक योजना (Long Term Planning) के लिये विशिष्ट सेवा स्तर एवं दक्षता अनिवार्य हैं जो कि नागरिकों की जरूरतों को पूरा करती है और उन्नत गुणवत्ता वाले जीवन में सहायक होती है।

4. अनुश्रवण सूचना एकत्र करने एवं उसका विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया है, और उस सूचना से कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। यह प्रोजेक्ट या कार्यक्रम की ताकत और कमजोरी को पहचानने का एक यंत्र है, और उसे ठीक करने एवं समय से निर्णय लेने में सहायक है। प्रभावी अनुश्रवण हेतु, सूचना के प्रवाह को नियमित करने के लिये विभिन्न स्तर पर संस्थागत ढाँचा बनाना होगा। नगरीय निकाय में शीर्ष स्तर पर विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों एवं चुने हुये प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनानी होगी। नगरीय निकाय के स्वास्थ्य-अधिकारी की मासिक आख्या की समीक्षा करने की जिम्मेदारी होगी। आख्या में जल एवं स्वच्छता संबंधी निम्न मुख्य सूचनांक हो सकते हैं।

अध्याय-14

सेवा स्तर एवं व्यापकता सूचकांक

जलापूर्ति :-

- ❖ जलापूर्ति संयोजनो का विस्तार
- ❖ प्रतिदिन प्रति याकि जलापूर्ति
- ❖ आपूर्ति की चक्र
- ❖ प्रतिदिन के आपूर्ति घंटे
- ❖ जलपूर्ति की गुणवत्ता
- ❖ 2010 के प्रतिशत मांग की तुलना में वर्तमान आपूर्ति
- ❖ घरेलू सम्बन्धीकरण के अच्छादन का मूल्यांकन
- ❖ प्रति स्टैन्ड पोस्ट मलिन बस्ती वासियों की जनसंख्या

सीवरेज एवं स्वच्छता :-

- ❖ ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाओं का घर-घर तक विस्तार
- ❖ म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण में दक्षता।
- ❖ म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण को बढ़ाना।
- ❖ उपभोक्ता की शिकायतों के निस्तारण में दक्षता।
- ❖ जलापूर्ति की गुणवत्ता।

स्टार्म वाटर ड्रेन्स

- ❖ जल-भराव/जल आप्लावन की घटनायें।
- ❖ पक्के नाले का विवरण सड़क के लम्बाई के अनुपात में

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

- ❖ ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाओं का घर-घर तक विस्तार।
- ❖ म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण में दक्षता।
- ❖ म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण को बढ़ाना।
- ❖ उपभोक्ता की शिकायतों के निस्तारण में दक्षता।

अध्याय-15

सेवा दक्षता सूचकांक

जलापूर्ति :-

❖ पेयजल संयोजन से अच्छादित	100%
❖ प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पेय जलापूर्ति	135 लि0प्र0व्यक्तिप्र0दिन
❖ जलपूर्ति अवधि	24 घन्टा
❖ जलापूर्ति की गुणवत्ता	100%
❖ प्रति जल स्तम्भ से लाभांकित स्लम जनसंख्या	250
❖ शिकायतो के निस्तारण की दक्षता	80%
❖ प्रति हजार पेयजल संयोजन पर स्टाफ की संख्या	

सीवरेज एण्ड सेनितेशन :-

❖ शौचालय से अच्छादित	100%
❖ सीवरेज नेटवर्क से अच्छादित	100%
❖ जल मल एकत्र करने की दक्षता	100%
❖ जलमल को शोधित करने की दक्षता	100%
❖ जलमल शोधन संयंत्र की गुणवत्ता	100%
❖ शोधित जलमल के पुर्नप्रयोग एवं रिसाईकिल करने की व्यवस्था	20%
❖ शिकायतो के निस्तारण की दक्षता	80%
❖ प्रति हजार जन संख्या पर स्टाफ की संख्या	

स्टार्म वाटर ड्रेन्स :-

❖ बरसाती नालो से अच्छादित	100%
❖ जल भराव/बाढ़ की स्थिति	0

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन :-

❖ गृह स्तर पर ठोस अपशिष्ट से अच्छादित	100%
❖ नागरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्र करने की दक्षता	100%
❖ नागरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण की क्षमता	100%
❖ शिकायतो के निस्तारण की दक्षता	80%
❖ लागत के वसूलने का प्रतिशत	100%
❖ प्रति स्टाफ सडक की लम्बाई	100%

अध्याय-16

नगरीय क्षेत्रों की समीक्षा हेतु प्रक्रिया एवं यंत्र


- ❖ गृहो का सर्वेक्षण
- ❖ प्रतिभागी मूल्यांकन
- ❖ पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन
- ❖ नगरीय पर्यावरणीय स्थिति

अध्याय-17

नगरीय स्वच्छता योजना

नगरीय स्थानीय निकाय, समुदाय आधारित संगठन एवं निजी सेक्टर के एजेन्सीज को सहयोग देने के उद्देश्य से ढाचा उनके शहरों में 100% स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उठाये गये कई कदमों के माध्यम से बना है। क्योंकि प्रत्येक शहर मांग और आवश्यकता, स्थानीय संदर्भ, वित्तीय एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता और अभिनव परिवर्तन के अवसर के आधार पर अपना अपना चुनाव करेगें। चुनौती के माध्यम से सोचने में सहयोग करने हेतु, Core Building Block, बनायी गयी है।

Generic Elements of Planning, Implementation and M&E of City Wide Sanitation



अध्याय-18

नगरीय स्वच्छता टास्क फोर्स

साझीदारी को संचारित करना :- शहरो को 100% स्वच्छ बनाने के लिये म्युनिसिपल एजेन्सीज, सरकारी एजेन्सीज और सबसे ऊपर शहर की जनता में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लानी होगी।

(अ) मल्टी स्टेक होल्डर शहरी स्वच्छता टास्क फोर्स संस्थापित करनी होगी जिसमें निम्न प्रतिनिधि होंगे।

- ❖ कार्यस्थल पर स्वच्छता सीवरेज, जलापूर्ति ठोस अपशिष्ट ड्रेनेज इत्यादि से संबंधित स्वच्छता के लिये जो एजेन्सीज सीधे जिम्मेदार है। इसमें ULB और PHED आदि के विभिन्न खण्ड एवं विभाग शामिल है।
- ❖ एजेन्सीज जो अप्रत्यक्ष रूप से स्वच्छता की स्थितियों में संलिप्त हो या बैठायी गयी हो। इसमें सिविल सोसाईटीज कालोनी यायावर जनसंख्या, मलीन बस्ती, फ्लैटनुमा भवन आदि के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नगर-विषयक क्रियाकलापों, स्वास्थ्य एवं नगरीय गरीबी में उपलब्ध एवं श्रेष्ठ व्यक्ति एवं व्यवसायी।
- ❖ दुकानों, उद्योगों एवं अधिष्ठानों के प्रतिनिधि।
- ❖ शहर के अन्य बड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि (उदाहरणार्थ कैंटोमेन्ट बोर्ड, भारत सरकार या राज्य सरकार के इन्टरप्राइज कैमास आदि)।
- ❖ जल व स्वच्छता नगरीय उच्चीकरण मलीन बस्ती, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिये कार्यरत स्वयं सेवी संस्थायें।
- ❖ सफाई कर्मचारियों, सीवरेज, स्वच्छता, रिसायक्लिंग एजेन्ट्स/कबाड़ी इत्यादि के यूनियन्स के प्रतिनिधि।
- ❖ स्वच्छता सेक्टर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत निजी फर्मो/ठेकेदारों के प्रतिनिधि (उदाहरणार्थ कूड़ा इक्ठ्ठा करने वाले, सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाली फर्में आदि)।
- ❖ शिक्षा एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि
- ❖ कोई अन्य महत्वपूर्ण या इच्छुक साझीदार।
- ❖ ULB के कुछ चुने हुये सदस्यों को टास्क फोर्स का सदस्य भी होना होगा। टास्क फोर्स का मुखिया मेयर/चेयरमैन होंगे और एक्जिक्यूटिव हेड (उदाहरणार्थ म्युनिसिपल कमिश्नर/अधिशासी अधिकारी) संयोजक होंगे। शहर चाहे तो ऐसे City Sanitation Ambassadors जिनका चुनाव ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किया गया हो जो शहर के नेतृत्व एवं जनसंख्या में अप्रतिम विश्वसनीयता एवं प्रभाव रखते हों, को टास्क फोर्स का हिस्सा बना सकती है। सभी राजनैतिक पार्टियों एवं सम्प्रदायों से राजनैतिक नेतृत्व अवश्य लेना चाहियें, जिससे स्वच्छता अभियान को सभी साझीदारों का सहयोग हासिल हो और कोई गुप इसका विरोध न करें। टास्क फोर्स को एक कार्य यह करना होगा कि शुरुआती दौर में अनेक साझीदारों एवं अनेक पार्टियों की एक मीटिंग करनी होगी और शहर के 100% स्वच्छ बनाने का एक औपचारिक संकल्प लेना होगा जिसे सभी के हस्ताक्षर सहित प्रकाशित कराना होगा।

(ब) शहरी स्वच्छता टास्क फोर्स निम्न कार्यों के प्रति जिम्मेदार होगी :-

- ❖ शहर को 100% स्वच्छ बनाने के अभियान की शुरुआत करना।
- ❖ शहर के नागरिकों एवं साझीदारों को इसकी जानकारी देना।
- ❖ कार्यान्वयन एजेन्सियों, अन्य जन-एजेन्सीज, साथ ही स्वयं सेवी संस्थायें तथा कार्यान्वयन के लिये ठेके पर ली गयी निजी पार्टियों द्वारा लायी गयी सामग्री और बनायी गयी प्रोग्रेस रिपोर्ट को अनुमोदित करना।
- ❖ नागरिकों की राय लेने के बाद स्वच्छता कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा शहर के लिये बनायी गयी शहरी स्वच्छता प्लान को अनुमोदित करना।
- ❖ इन्फार्मेशन सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट प्लान (ISIP) को लागू करना।
- ❖ प्रगति को सुपरवाइज करने हेतु कार्यस्थल का समय समय पर दौरा करना।
- ❖ प्रगति के संबंध में प्रेस/मीडिया और राज्य सरकार को संक्षिप्त विवरण देना।
- ❖ कार्यान्वयन एजेन्सी को सम्पूर्ण दिशा निर्देश उपलब्ध कराना।
- ❖ पूरे शहर की स्थायी तौर पर स्वच्छता के लिये जिम्मेदारी तय करने हेतु ULB को अपनी संस्तुति देना।

टास्क फोर्स प्रारम्भिक स्तर पर औपचारिक तौर पर प्रायः बैठके करे (कम से कम दो महीने में एक बार) जिसमें वह प्लानिंग व कार्यान्वयन की प्रक्रिया का अनुश्रवण करे व दिशा निर्देश दे। बाद में आवश्यकतानुसार बैठक एवं कार्यस्थल का दौरा किया जा सकता है। कुछ शहरों में टास्क फोर्स के सम्पूर्ण क्रियाकलाप को एकजुट रखते हुये, टास्क फोर्स विभिन्न पहलुओ को नजदीक से देखने के लिये छोटे उप-कमेटीज में कार्यों एवं जिम्मेदारियों को बाँट सकती है।

स) टास्क फोर्स मुख्य एजेन्सीज मे से एक को, ULB को खासतौर पर, शहर के CSP के लिये शहरी स्वच्छता कार्यान्वयन एजेन्सी नियुक्त कर सकती है। यह एजेन्सी पूरे शहर में स्वच्छता कार्यक्रमों को लागू करने हेतु प्रतिदिन के समन्वयन एवं प्रबन्धन के लिये जिम्मेदार होगी। यह एजेन्सी अन्य जन एजेन्सियों के साथ समन्वय करेगी तथा संयुक्त प्रयासों पर सहमति देगी और ठेका देकर स्वयंसेवी संस्थाओ की सेवाओं को (अनुबन्ध के माध्यम से) तथा निजी पार्टियों की सेवाओं को (ठेके के माध्यम से) सुपारवाइज करेगी, जिससे निम्न कार्य हो सके:-

- ❖ IEC (Information Education & Communication) के लिये सामग्री को बनाना एवं वितरित करना।
- ❖ मूलभूत सर्वेक्षण करना तथा साझीदारों की राय लेना।
- ❖ GIS आधारित व्यापक डाटाबेश बनाकर जारी रखना।
- ❖ बेहतर विश्वसनीयता की, परफार्मेन्स इम्प्रूवमेन्ट प्लान (PIP) को लागू करना।
- ❖ भैतिक कार्यों को लागू करना
- ❖ संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) प्रबन्धन सम्बन्धी ठेके देना व सुपरवाइज करना इत्यादि।

ULB City Sanitation Task force and Implementing Agency (CSTFIA) के गठन की औपचारिक सूचना देगी और प्रकाशित करायेगी।

(द) संस्थानिक जिम्मेदारियों नियत करेगी: नगरीय स्वच्छता में कमी का एक मुख्य कारण साफ एवं सम्पूरक संस्थानिक जिम्मेदारियों में कमी का होना है। इसके दो पहलू हैं—अ) कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को स्थायी तौर पर संस्थानिक किया जाना ब) CSP के तुरन्त प्रचार, प्रबन्धन एवं लागू किये जाने संबन्धी कर्तव्य एवं जिम्मेदारी जिस पर पहले वाली की रूपरेखा बनायी जा सकती है, प्रयोग किये जा सकते हैं, और अन्त में उसे संस्थागत कर दिया जाये। स्वच्छता टास्क कोर्स ULB को पूरे शहर की स्वच्छता के लिये स्थायी जिम्मेदारियों देने की संस्तुति करेगी जिसमें निम्न पहलू शामिल होंगे:—

- ❖ पूरे शहर की स्वच्छता की अन्तिम व पूर्ण जिम्मेदारी ULB की होगी जिसमें बिजली मिलना, अधिकारियों का कार्य करना एवं उन्हें निधि मिलना शामिल है।
- ❖ राज्य सरकार एवं भारत सरकार की योजनाओं सहित योजना बनाना एवं वित्तीय सहायता देना।
- ❖ सुधार एवं वृद्धि सहित पूंजी खड़ी करना।
- ❖ कार्यस्थल, व्यक्तिगत, समुदाय और जन स्वच्छता सुविधाओं और व्यवस्थाओं (अपशिष्ट के अन्तिम परिष्करण एवं निस्तारण तक ढोकर ले जाने को लेते हुये) जैसे सभी नेटवर्क के लिये रख-रखाव की व्यवस्था करना।
- ❖ रख-रखाव को बनाए रखने हेतु शुल्क निर्धारित करना एवं राजस्व की वसूली करना।
- ❖ नगरीय गरीब एवं मलीन बस्ती एवं मिश्रित क्षेत्रों के असेवित जनसंख्या के लिये पहुँच की प्रक्रिया को ऊपर उठाना और विशिष्ट रख-रखाव व्यवस्था संस्थापित करना।
- ❖ **निम्न के लिये मानक स्थापित करना :-**
 - पर्यावरणीय परिणाम (उदाहरणार्थ, निस्सारी पैरामीटर्स पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानक)
 - जन-स्वास्थ्य परिणाम (उदाहरणार्थ, राज्य स्वास्थ्य विभाग)
 - प्रक्रियायें (उदाहरणार्थ कार्यस्थल के अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण)।
 - ढ़ोँचा (उदाहरणार्थ, डिजाइन मानक) (PHEDs/Parastatals)
 - सेवा देने सम्बन्धी मानक (उदाहरणार्थ, नगर विकास विभाग द्वारा)
 - पर्यावरणीय मानकों सहित Regulatory Roles को अपनाना (उदाहरणार्थ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड), स्वास्थ्य-परिणाम (उदाहरणार्थ राज्य स्वास्थ्य विभाग)
- ❖ विशिष्ट साझीदारों द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभाने पर की जाने वाली कार्यवाही।
- ❖ कार्यदायी संस्था और उनके कर्मचारी का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास।
- ❖ अधिसंख्यक साझीदारों को अन्तर्गत कर 100% स्वच्छता का अनुश्रवण करना।
- ❖ CSTF का यह भी टास्क होगा कि वे स्वच्छता प्लान को लागू करने के लिये भूमिका और जिम्मेदारी निभायें।

अध्याय-19

मूल आँकड़ों का संग्रह और डाटाबेस / जी.आई.एस. / इन्फारमेशन

सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट प्लान (ISIP) का सृजन

प्रारम्भिक कदमों के समानान्तर, ULB/Implementing Agency स्वच्छता संबंधी सूचनायें जो ULB के पास उपलब्ध हैं तथा जो अन्य एजेन्सीज के पास उपलब्ध हैं, दोनों सूचनाओं का मिलान करेगी। इसमें जनसाँख्यिकी, संस्थानिक, तकनीकी, सामाजिक एवं वित्तीय सूचनायें शामिल होंगी। इसके साथ-साथ यह एक निजी एजेन्सी या स्वयं सेवी संस्था या दोनों की नियुक्ति करेगी जो Missing Items पर प्राथमिक डाटा कलेक्शन का कार्य करेगी। सर्वे में संरचित तथा साझेदारी तकनीक के मिश्रण का प्रयोग करेंगे। सभी एकत्र किया गया डाटा इस योग्य होगा कि उन्हे शहर के लिये वर्तमान या प्रस्तावित भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) से जोड़ा जा सकें। (अगर यह नहीं है तो जल, स्वच्छता तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये GIS का गठन तुरन्त करना होगा, और तुरन्त लागू करना होगा)। शहर के मास्टर प्लान के आधार पर नये क्षेत्रों व कालोनाइजेशन के विकास हेतु प्लान्स पर बेसलाइन अंकित करनी होगी। अगर मास्टर प्लान नहीं है तो Real State Development Public Authorities एवं निजी एजेन्सीज से सलाह करके उचित कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त प्रयास से प्राप्त मिश्रित डाटाबेस कम्पेन की प्लानिंग करने एवं लागू करने का आधार होगा। चूँकि इस डाटा कलेक्शन के कार्य में काफी समय लगेगा, ULB इस कार्य को अतिशीघ्र प्रारम्भ करें और जब और जैसे डाटा प्राप्त होना शुरू हो जायें, तो डाटा का प्रयोग शुरू कर दें।

2. सामान्यतया एक बेसलाइन स्टडी का कार्य तीन से चार महीने में पूरा किया जाना चाहिये, (श्रेणी-II और इससे ऊपर) जो कि शहर के फैलाव एवं जटिलता पर निर्भर करेगी।, श्रेणी-III व नीचे के शहरों में बेसलाइन तैयार करने के कार्य हेतु दो माह का समय काफी है। साझेदारी वाली पहुँच को संस्थानिक एवं अन्य साझेदारों से मिलाते हुये, चेक लिस्ट व शिड्यूल का प्रयोग करते हुये समुदाय एवं परिवारों से बातचीत करना आदि से चेक लिस्ट इफीसिएन्ट और इकानामिकल बनती है। यहाँ यह अंकित किया जा सकता है कि बेसलाइन सभी गुणों एवं परिवारों का सेन्सस नहीं है। बल्कि यह एक आकलन है जो शहर की प्रमुख स्थितियों को पररवती है, जिससे आगे चलकर बेसलाइन की तुलना में प्रगति में लगे समय को मापा जा सकें। अभी तुरन्त, City Wide Sanitation Plan को योजना रूप देने के लिये बेसलाइन का अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है। कुछ समय बाद एक समयावधि में इन्फारमेशन सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट प्लान (ISIP) बनाया जायेगा। (ISIP) पर आधारित करके परफारमेन्स इम्प्रूवमेन्ट प्लान (PIP) बनाया जायेगा और उसका पालन किया जायेगा। निष्पादन स्तर निर्धारित किया जायेगा, और संकेतकों को मापा जाना चाहियें जिनका प्रयोग प्रोजेक्ट प्लानिंग में और सेवाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिये मार्गदर्शिका बनाने में किया जायेगा।

3. City Sanitation Plan को कार्यदायी संस्था द्वारा तुरन्त बनाया जाना चाहियें और टास्क फोर्स को उस पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना चाहियें।

4. यद्यपि स्थानीय स्थिति के अनुसार सिटी सैनीटेशन प्लान की सटीक विषय-वस्तु परिवर्तित हो सकती है, उसमें निम्न पहलू समाहित होना चाहिये:-

- ❖ स्वच्छता के लिये जिम्मेदार संस्थाओं/संगठनों के विकास का प्लान एवं उनके कर्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ।
- ❖ 100 प्रतिशत स्वच्छता सुनिश्चित करने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संगठनों तक पहुँच बनाना और संबंधित ओ0एण्ड0एम0 प्रणालियों का प्लान (इसमें वर्तमान सिस्टम को उपर उठाने, अनुपूरक सुविधायें, पी0पी0पी0 एवं सामुदायिक प्रबन्धन के द्वारा परिचालन एवं अनुरक्षण (O&M), प्रबन्धन ठेके देना आदि सम्मिलित हो)।
- ❖ सेवा देने हेतु मूल्य एवं दरें।
- ❖ बकायों की वसूली के कार्य को प्राथमिकता देनी होगी क्योंकि इससे लेखा और वित्तीय स्थिरता मिलेगी।
- ❖ नये विकसित क्षेत्रों/बाजार तथा जन-स्थानों और आवासीय तथा अन्य निवासियों के लिये व्यय और परिचालन एवं अनुरक्षण (O&M) प्रणाली बनाना।
- ❖ स्वच्छता क्षेत्र के कम से कम 20% धनराशि को नगरीय गरीबों के लिये अलग रख देना चाहिये।
- ❖ स्वच्छता से संबंधित अपशिष्टों के सुरक्षित एकत्रिकरण, ढोकर ले जाने एवं परिष्करण हेतु प्लान बनाना।
- ❖ लागूकरण के संचालन एवं मूल्यांकन (M&E) के लिये 100 प्रतिशत स्वच्छता को प्राप्त करने एवं बनाये रखने हेतु प्लान बनाना (सामुदायिक अनुश्रवण के प्रयोग आदि सहित)
- ❖ जल-स्रोतों के सूखने, जलवायु-परिवर्तन का प्रभाव और कार्यस्थल पर सूक्ष्म गहन ऊर्जा (Low Energy Intensive) का प्रयोग/विकेंद्रीत दूषित जल का परिष्करण-तकनीकी, बॉटी हुयी जनोपयोगी सेवाओं आदि जैसे विषय।
- ❖ मैनपावर के विषय जैसे यथेष्ट वेतन, जटिल कार्यप्रणाली, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी, नवीन एवं सुरक्षित तकनीक का प्रयोग, यथेष्ट सुरक्षा उपकरण का प्राविधान जैसे दस्तानें, बूट, मास्क, नियमित स्वास्थ्य जाँच चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा का प्राविधान आदि।
- ❖ स्थानीय तौर पर महत्वपूर्ण अन्य विषय

5. परिचालन एवं अनुरक्षण (O&M) प्रणाली प्रायः प्रभावित होती है क्योंकि ग्राहक इसे सेवा नहीं मानते और छोटे सेवा स्तरों के लिये भुगतान नहीं करते हैं। परिचालन एवं अनुरक्षण (O&M) सेवा प्राविधान वित्तीय दीर्घकालीन ठहराव से नजदीक से संबंधित हैं और इस कारण कार्यदायी संस्था को उन्नति के प्रवाह और भविष्य के सेवा स्तर के वित्तीय उलझावों का पूरा अवलोकन करना चाहिए। इससे शहरी टास्क फोर्स को सिटी सैनीटेशन प्लान के हिस्से के रूप में प्रस्ताव मिलेंगे कि कैसे वसूली की जाये या परिचालन एवं अनुरक्षण (O&M) के खर्च को कैसे पूरा किया जाये।

6. ग्राहकों की शिकायत एवं सुधार-प्रक्रिया अन्य मुख्य क्षेत्र हैं जिनपर ध्यान देने की आवश्यकता है। नगरीय निकाय या सेवा-देयक एजेन्सी में एक मुख्य बदलाव लाना होगा कि वे नागरिकों को सेवा का ग्राहक माने। इसी प्रकार शिकायत दूर करने हेतु सुधार-प्रक्रिया और फीडबैक प्रणाली, दीर्घकालीन उन्नति के लिये, स्थापित की जा सकती है। ग्राहकों का उचित रिकार्ड बनाना और संरचनात्मक फीडबैक ऐसे तरीके हैं जिनका दूसरे सेक्टर में सफल परिणाम के साथ जन-सेवाओं में सुधार हेतु प्रयोग हो चुका है। उन्नत सेवा देयक प्रणालियों को स्थापित करने हेतु निम्न तरीके हैं:-

1. दिशा निर्धारण (Orientation) और प्रशिक्षित करना।
2. ग्राहक संबंध प्रणाली स्थापित करना और
3. ओ0 एण्ड एम0 निष्पादन को व्यक्तिगत निष्पादन से जोड़ना

7. अन्त में, कई परिपेक्ष्यों में परिवार और समुदाय बाद में ओ0एण्डएम0 कार्यों या निष्पादन के अनुश्रवण करने का कार्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यह तरीका तब काम करेगा जब समुदायों में एक साथ काम करने की भावना होगी या एक विशेष व्यवहार के कई वाहयता हैं (व्यक्तिगत तरीके दूसरों पर शीघ्र असर करते हैं)। पड़ोस में सफाई का रख-रखाव प्रबन्धन, ड्रेन्स एवं नालों को साफ रखना, सड़कों की सफाई करना आदि ऐसे उदाहरण हैं जहाँ समुदायों के समूह आसानी से सेवा करने वालों के निष्पादन की समीक्षा कर सकते हैं। अत्यन्त गरीबों एवं मलिन बस्तियों की स्थिति में, इनमें से कुछ कार्य औपचारिक तौर पर स्थानीय समूहों को भी दिये जा सकते हैं।

अध्याय-20

प्रगति की समीक्षा एवं मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण

शहरी स्वच्छता टास्क फोर्स एवं कार्यान्वयन एजेन्सी को कार्यान्वयन के एम0एण्डई0 के बारे में यह सोचने की आवश्यकता है कि यह सी0एस0पी0 का अभिन्न अंग है। कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु निम्न प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिये।

- ❖ कार्यान्वयन एजेन्सी की आख्याओं एवं कार्यान्वयन कन्सलटैन्ट व ठेकेदारों से प्रशासकीय डाटा लेना।
- ❖ शहर के विभिन्न भागों में टास्क फोर्स का दौरा
- ❖ शहर के विभिन्न भागों में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थायें उदाहरणार्थ एक स्वयंसेवी संस्था जो किसी एक मलीन बस्ती में कार्यरत है, उस उपनिवेश में हुये बदलावों की समीक्षा कर सकती है, क्योंकि वे वहाँ काम करते हैं, दौरा करते हैं, और वहाँ के निवासियों से रोजाना बात करते हैं। अतिरिक्त खर्च देने हेतु ULB को अनुबन्ध (Memorandum of Understanding or Undertaking) की आवश्यकता हो सकती है। जबकि कुछ स्वयं सेवी संस्थायें, खासतौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत, अपने कार्य के हिस्से के रूप में कुछ डाटा का संग्रहण कर सकती हैं।
- ❖ समुदायिक समूहों कार्यान्वयन एजेन्सीज एवं टास्क फोर्स को संरचनात्मक फीडबैक उपलब्ध कराये जो उनके क्षेत्र के कार्यान्वयन की प्रगति एवं स्थिति के विषय में होगी।
- ❖ थर्ड पार्टी का स्वतन्त्र आकलन।
- ❖ एक सर्वे एजेन्सी का समवर्ती मूल्यांकन।

2. समीक्षा एवं मूल्यांकन का एक मुख्य पहलू यह है, कि उपलब्धियों एवं आख्याओं को जनता को उपलब्ध करा दें, जिससे दूसरे साझीदारों से फीडबैक व सुझाव प्राप्त हो सकें।

3. टास्क फोर्स की मासिक बैठक एवं प्रेस-वार्ता में मुख्य विशिष्टताओं के बारे में बताने से भी शहरी साझीदारों को गतिशील बनाया जा सकता है, और उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

अध्याय-21

भात प्रतिशत (100 %) स्वच्छता स्तर की समीक्षा

माइलस्टोन तक पहुँचने के बाद कहीं पीछे खिसक जाने की स्थिति को बचाने के लिये, ऐसी प्रणाली विकसित की जायें जिससे एक बार की प्राप्ति की बजाय व्यवहार, स्थितियों एवं आदतों में स्थायी बदलाव आयें।

2. फिर इस प्रक्रिया में कई साझीदारों को साथ लेकर चलना होगा, जब कि ऐसा करने में ULB या टास्क फोर्स आगे रहेंगे। बदलाव में स्थायित्व लाने की विधि में निम्न शर्तें शामिल रहेंगी।
- ❖ समीक्षा प्रक्रिया, उत्पादन एवं परिणाम में भूमिका, निभाने में ULB को नेतृत्व लेना होगा, और 100% स्वच्छता की स्थिति की समीक्षा के तरीकों को संस्थापित करना होगा। यह प्रक्रिया नये निवेश और O&M की भूमिका तथा ULB के खण्डों की जिम्मेदारियों से नजदीक से जुड़ी रहेंगी, लेकिन यह संस्तुति की जाती है, कि उपरोक्त यूनिटों के अलावा एक अलग यूनिट को शहर की प्राप्तियों एवं उनकी पुष्टि के पूर्ण परिणाम की जिम्मेदारी देनी होगी। ULB इसको और भी प्रभावी तरीको से कर सकेगी, अगर यह दूसरे सरकारी एजेन्सीज को भी साथ लेती है, (पर्यावरण, इसके स्वयं के संगठन के अंदर और बाहर स्वास्थ्य संबंधी स्वयं सेवी संस्थायें, नगरीय गरीब आदि)
 - ❖ नागरिकों के समूह द्वारा प्रतिदिन की गयी समीक्षा की भूमिका अमूल्य है, और उसे विशेषतौर से अड़ोस-पड़ोस की सुरक्षा, बढ़ते हुये सुधार और साथ ही साथ ऐसे किसी व्यक्तिक्रम जिसके समाधान की आवश्यकता है, के लिये, गतिशील बनाया जाना चाहियें। वास्तव में पूरे शहर के स्तर पर कार्यान्वयन की गहन समीक्षा से भूमि स्तर पर दीर्घकालीन बदलाव सम्बन्धी जिम्मेदारियाँ बढ़ जायेगी।
 - ❖ दीर्घकालीन बदलाव के लिये सबसे आसान तरीका नियमित तौर पर औपचारिक डाटा व अनौपचारिक सूचना एवं फीडबैक इकट्ठा करना है, जिसे जनता में प्रचारित कर दिया जायें जिससे दीर्घकालीन आदतों को बनाये रखने हेतु निजी एजेन्सीज, निजी सेवा देने वाले, और साथ ही साथ परिवारों व समुदायों पर भी दबाव बन सकें। दीर्घकालीनता के लिये पारितोषित देना प्रेरणा का कार्य करती है, और कई मामलों में उन्नत करने में भी जिनसे शहर का नाम होगा। जैसा कि पारितोषित सेक्शन (नीचे वर्णित) ने खाका खींचा है, कई अन्य अप्रत्यक्ष फायदें भी हैं, जिससे शहर 100% स्वच्छ हो जाते हैं, और निरन्तर उन्नति करते हैं।

अध्याय-22

नगरीय पुरस्कार योजनायें

100% स्वच्छता तक पहुँचने हेतु उन्नति की प्रक्रिया में शामिल होने के लिये स्थानीय साझेदारों के मध्य शहर अपनी स्वयं की पारितोषिक स्कीम शुरू कर सकते हैं। राष्ट्रीय मार्गदर्शिका के अनुसार क्षेत्रवार आधार पर पारितोषिक दिये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, पारितोषिक के लिये निम्न इकाई हो सकती है:-

- अ) म्युनिसिपल वार्ड
- ब) कालोनीज या निवासियों की संस्था
- स) स्कूल, कालेज और अन्य शैक्षिक संस्थायें।
- द) मार्केट एवं बाजार कमेटीज
- इ) शहरी संस्थायें या मोहल्ला, उदाहरणार्थ रेलवे स्टेशन, बस-डिपो, कार्यालय-भवन आदि।
- ई) शहर में स्थित अन्य मोहल्ले व संस्थायें।

2. स्वच्छता प्रणाली को आगे भी बनाये रखने व इसका रखरखाव करने के लिये एक सीमित धनराशि पारितोषिक के तौर पर दी जा सकती है। इससे उस ढाँचे की उन्नति होगी जिसका लक्ष्य बेहतर स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, साथ ही साथ पर्यावरण मेले आयोजित करना, स्वास्थ्य कैंम्प लगाना आदि है। एक सम्मान की सूची, वार्डस् की श्रेणी एवं पहचान प्रदान करने के लिये पब्लिक फंक्शन आयोजित करने को भी पारितोषिक का हिस्सा माना जा सकता है।

3. जब ये पारितोषिक प्रारम्भ किये जा रहे हों, इस पर जोर देना होगा कि किसी ग्रुप या मोहल्ले की जिम्मेदारी केवल उनके स्वयं की उपलब्धियों से ही नहीं समाप्त हो जाती है। इसे एक पूरे शहर में फैला हुआ अधिष्ठान होना होगा, और कोई भी सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन व पर्यावरण से लाभान्वित नहीं होगा, जब तक कि शहरी क्षेत्र एवं इसके आस पास का प्रत्येक निवासी 100% स्वच्छता की उन्नत व्यक्तित्व एवं सामुदायिक आदतों को नहीं अपना लेता।

4. म्युनिसिपल वार्ड के चुने प्रतिनिधियों के नेतृत्व, स्थानीय समुदाय के नेतागण, शहरो के ग्रुप और समुदाय-आधारित संगठन दीर्घकालीन 100% स्वच्छ वार्ड या मोहल्ले तैयार करने में निर्णायक होंगे। उन्हें स्वच्छता प्राप्त करने में स्वस्थ तरीके से मुकाबला करने के लिये गतिशील करना होगा।

अध्याय-23

प्रादेशिक पुरस्कार योजनायें

प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता को तेजी से प्रोन्नत करने के लिये और इस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन को पहचान देने के लिये, उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में एक वार्षिक पारितोषिक योजना लाना चाहती है।

2. पारितोषिक इस भूमिका पर आधारित है कि उन्नत जन-स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय मानक दो ऐसे परिणाम हैं जिन्हें शहरों को नगरीय निवासियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा। ऐसा करने में नगरीय क्षेत्रों को पूरे शहर की स्वच्छता योजना बनानी एवं कार्यान्वित करनी होगी, और इस प्रकार वे योजनायें सफल होगी जो सुरक्षित एकत्रीकरण एवं निस्तारण करने में सहायक होती हैं, (ढोकर ले जाना, परिष्करण और/या शहर के चारों तरफ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पुर्नप्रयोग) यह ध्यान देना होगा, कि पारितोषिक से केवल नगरीय स्वच्छता में हुये निवेश या व्यय को ही पहचान नहीं मिलना है बल्कि यह भी निर्धारित करना होगा कि शहर से दीर्घकालीन आधार पर अपशिष्ट के 100% सुरक्षित निस्तारण के अन्तिम परिणाम के मध्यवर्ती मील के पत्थर की उपलब्धि तक ये कैसे ले जाते हैं।

3. शहरो को शहरी साझीदारों (परिवार, अधिष्ठान, उद्योग, म्युनिसिपल पदाधिकारी/कार्यकर्ता, मीडिया आदि) की जानकारी बढ़ानी होगी, क्योंकि उन्नत स्वच्छता से उन्नत स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय परिणाम तभी सुनिश्चित होंगे जब समाज के परिवेश के व्यवहार एवं आदतों में व्यापक बदलाव आता है।

अध्याय-24

सम्पूर्ण स्वच्छ नगरों की अवधारणा

एक सम्पूर्ण स्वच्छ शहर वह होगा जो राष्ट्रीय नगरीय स्वच्छता नीति में वर्णित परिणामों या मील के पत्थर तक पहुँच गया हो। इसकी प्रमुख विशेषतायें निम्न हैं :-

- ❖ शहर खुले स्थान पर शौच-क्रिया से मुक्त हो।
- ❖ मानव द्वारा स्वच्छता कार्य की प्रथा विलोपित हो और समुचित वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाय जो स्वच्छकार की सुरक्षा अभिभाषित करता हो।
- ❖ नगर निगमीय अपशिष्ट जल एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज का सुरक्षित तरीके से प्रबन्धन हो।
- ❖ पीने के अलावा अन्य उपयोगार्थ परिष्कृत अपशिष्ट जल के रिसायकिल एवं पुन्रप्रयोग को जहाँ सम्भव हो वहाँ लागू करना।
- ❖ ठोस अपशिष्ट का पूरी तरह एवं सुरक्षित तरीके से एकत्रीकरण एवं निस्तारण।
- ❖ गरीबों को सेवा उपलब्ध कराना तथा दीर्घकालीन फलदायक प्रक्रियाओं का विकास।
- ❖ उन्नत जन-स्वास्थ्य परिणाम एवं पर्यावरण मानक।

अध्याय-25

नगरों के चयन प्रक्रिया का मूल आधार एवं दक्षता

अ) मूल आधार एवं योजना बनाना :- सर्वप्रथम प्रत्येक शहर एक सर्वेक्षण करायेगा (सेकेन्डरी एवं प्राइमरी डाटा बेस पर आधारित) और शहर के अपशिष्ट (ठोस एवं तरल) की मात्रा, एकत्रीकरण एवं निस्तारण के अनुसार एक व्यापक मूल आधार स्थापित करेगा। इससे वे अपना विषयपरक स्व-मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। यह नगर स्वच्छता अभियान के लिए सभी साझीदारों को गतिशील करने का आधार बनायेगा और 100% स्वच्छता की प्राथमिकता के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ायेगा। मूल-आधार पर आधारित होकर, शहर, राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सहयोग से एक व्यापक शहरी स्वच्छता योजना बना सकते हैं, और उसका कार्यान्वयन कर सकते हैं, जिससे स्थिति सरनामित होगी और 100% स्वच्छता के लक्ष्य तक पहुँचा जा सकेगा।

ब) कार्यान्वयन:- शहर अपने CSP का युद्धस्तर पर कार्यान्वयन करेंगे जिसमें उन क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे जिन्हें तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और समानान्तर तौर पर दीर्घकालीन योजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे। पुनः सभी नगरीय साझीदारों को गतिशील बनाने, व्यवहार व आदतों में बदलाव की महत्ता को बढ़ाने और शहर के सभी अपशिष्टों के दीर्घकालीन सुरक्षित एवं स्वच्छ निस्तारण पर जोर देना होगा।

स) माइलस्टोन की उपलब्धि :- शहर/नगरीय क्षेत्र जिन्होंने उपरोक्त वर्णित स्वच्छता के आउटपुट व परिणाम को प्राप्त कर लिया है और जिनके पास इन्हें बनाये रखने के लिये प्रणाली एवं प्रक्रियाएँ अपनी जगह पर हैं, वे अपने राज्य सरकार (राज्य नगरीय विकास/म्युनिसिपल प्रशासन विभाग) को अपनी मान्यता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये नामित किये जाने हेतु आवेदन करेंगे।

(द) राज्य स्तरीय सत्यापन एवं पुरस्कार:- राज्य सरकार उपरोक्त कदमों को कार्यान्वित करने हेतु अपने शहरों को प्रोत्साहित करने एवं देख-रेख करने के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे और इस संबंध में वे राज्य में नगरीय क्षेत्रों के बीच प्रतियोगिता (Competition) की भावना विकसित करने हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना को शुरू कर सकते हैं। राज्य सरकारों को भी राज्य स्तरीय अवेयरनेस कम्पेन की शुरुआत करनी होगी।

(इ) राष्ट्रीय शहरों की स्वच्छता रेटिंग :- नगरीय विकास मंत्रालय व भारत सरकार सभी श्रेणी -1 के शहरों का सर्वेक्षण करने के लिये स्वतन्त्र एजेन्सीज नियुक्त करेगी (और अन्य वे शहर जो जे0एन0एन0यू0आर0एम0 में शामिल हैं) और परिणामों को प्रदर्शन की पहचान के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित करायेगें साथ ही, भारत सरकार राज्यों से यह भी अनुरोध कर सकती है कि वे प्रशंसनीय प्रदर्शन दिखाने वाले शहरों की संस्तुति करें जिनका उसके बाद सत्यापन किया जायेगा।

(ई) पुरस्कार का मानक:— राष्ट्रीय नगरीय विकास एडवाइजरी ग्रुप, जिसका गठन नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा हुआ है, राष्ट्रीय पुरस्कारों हेतु मापदण्ड बनाने और उसे पुनरीक्षित करने के लिये जिम्मेदार होगी। यह कमेटी अवेदव्य शहरों को वार्षिक पुरस्कार देने का निर्णय लेने हेतु अन्तिम प्राधिकारी होगी।

(उ) पुरस्कारों का प्रकार:— पुरस्कार योजना राष्ट्रीय स्तर पर शहरों की उपलब्धि को चिह्नित करेगी। तथापि पुरस्कार के लिये किसी मौद्रिक प्रोत्साहन या पुरस्कार पर विचार नहीं किया जायेगा। पुरस्कार में फिर भी शहरों एवं राज्य के प्रतिनिधियों के लिये प्रवर्तक बनने का, राष्ट्रीय स्तर की इवेन्ट्स, प्रशिक्षण और विचारों के आदान प्रदान में हिस्सा लेना और दूसरे स्थानों का भ्रमण करना व सीखना जैसे प्रोत्साहन शामिल होंगे।

अध्याय-26

नगरों की रेटिंग और श्रेणी निर्धारण

- ❖ स्वच्छता की उन्नति में उनके प्रदर्शन संबंध में शहरों की श्रेणी उत्पादन (output) प्रक्रियाओं और परिणामों के सेट पर, जो निम्न तालिका में दर्शाया गया है, आधारित होगी:-

No.	INDICATORS OUTPUT- RELATED	POINTS* 50
A	No open defecation sub-total	16
i.	Access and use of toilets by urban poor and other un-served households(including slums)- individual and community sanitation facilities	4
ii.	Access and use of toilets for floating and institutional populations- adequate public	4
iii.	No op-en defecation visible	4
iv.	Eliminate manual Scavenging and provide personnel protection equipment to sanitary workers	4
B	Proportion of total human excreta generation that is safely collected (7 points for 100%)	6
C	Proportion of total black waste water generation that is treated and safely disposed off (6 points for 100%)	6
D	Proportion of total grey waste water generation that is treated and safely disposed off (3 points for 100%)	3
E	Proportion of treated waste water that is recycled and reused for non potable application	3
F	Proportion of total storm- water and drainage that is efficiently and safely managed (3 points for 100%)	3
G	Proportion of total solid waste generation that is regularly collected	4
H	Proportion of total solid waste generation that is treated and safely disposed off (4 points for 100%)	4
I	City wastes cause no adverse impacts on surrounding areas outside city limits (5 points for 100%)	5
2	PROCESS- RELATED**	30
A	M&E systems are in place to track incidences of open defecation	4
B	All sewerage systems in the city are working properly and there is no ex-filtration	5
C	Septage / sludge is regularly cleaned , safely transported and disposed after treatment, from on – site systems in the city(MAXIMUM 10 marks for cities without sewerage	5
D	Underground and Surface drainage systems are functioning and are well-maintained	4
E	Solid waste management (collection and treatment) systems are efficient (and are in conformity with the MSW Rules, 2003)	5
F	There is clear institutional responsibility assigned; and there are documented operational systems in practice for b)/ c) to e) above	4
G	Sanctions for deviance on part of polluters and institutions is clearly laid out and followed in practice.	3
3	OUTCOME- RELATED	20
A	Improved quality of drinking water in city compared to baseline	7
B	Improved water quality in water bodies in and around city compared to baseline	7
C	Reduction in water- borne disease incidence amongst city population compared to baseline.	6

* The marks for the above indicators will be revised every two to three years. Over time, indicators about more stringent conditions e.g. no- urination, or spitting in open/ public spaces, etc. will be introduced as indicators. The weights accorded to each category and specific indicators will also be revised.

** In this context, bigger cities may consider instituting good practice systems that comply with ISO (International Standards Organization) and / or BIS (Bureau of Indian Standards) process systems.

उपरोक्त रेटिंग योजना के आधार पर, शहरों को विभिन्न वर्गों में रखा जायेगा जैसा कि अगले अध्याय-27 (नगरों का रंग कोड: श्रेणियाँ) में दर्शाया गया है। राष्ट्रीय रेटिंग सर्वेक्षण डाटा परिणामों के प्रकाशन के लिये इन वर्गों (Categories) को प्रयुक्त करेगी।

अध्याय-27

नगरों का रंग कोड : श्रेणियाँ

(अ) लाल-33 %	(ब) काला- 33-66 %
(स) नीला -67-90 %	(द) हरा- 91-100%

❖ बनायी गयी योजना के आधार पर कार्यान्वित शहर अपने क्रियाकलापों को मापने में सक्षम होंगे और उनकी मूल आकार की तुलना में समय-समय पर हुयी उन्नति का चार्ट बनाने में सक्षम होंगे।

❖ असाधारण परिणामों की प्राप्ति पर अर्थात् हरे रंग के कोड में आने पर (स्वस्थ एवं साफ शहर) संबंधित शहर विशिष्ट रूप से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये पात्र हो जायेंगे मानद अन्य शहरों, जो विशिष्ट तरक्की पूर्ण परिणाम या उत्कृष्ट उपलब्धि दिखायेंगे, को भी विशिष्ट या पुरस्कार दिये जा सकते हैं। विभिन्न आकार प्रकार के शहरों को भी श्रेणीवार पुरस्कार दिये जा सकते है।

❖ रेटिंग सर्वेक्षण एवं पुरस्कृतों के चयन के परिणाम के आधार पर, शहरों को राष्ट्रीय नगरीय स्वच्छता पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया जायेगा।

अध्याय-28

विशिष्ट एवं मानद पुरस्कार

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये शहरों को गतिशील बनाने के लिये, दो योजनाओं का अनुसरण किया जायेगा। राज्य योजनाओं के हिस्से के रूप में पुरस्कार योजनाएँ शुरू करना चयनात्मक आयामों या महत्वपूर्ण वृद्धियों में प्रशंसनीय परिणाम दिखाने वाले शहरों को विशिष्ट एवं मानद पुरस्कार देना शुरू करना।

विशेष पुरस्कार :-

विशेष उपलब्धियों के लिये विशेष पुरस्कार दिये जायेंगे, विशेषकर प्रारम्भिक अवस्था में क्योंकि 100% स्वच्छता की उपलब्धि कठिन हो सकती है विशेषकर प्रारम्भिक अवस्था में उदाहरणार्थ खुले में मानव-उत्सर्जन को रोकने के क्षेत्र में एक शहर प्रशंसनीय उपलब्धि दिखा सकता है। यद्यपि एक वर्ष में समय व साधन के अभाव में 100% परिष्करण निरूद्ध हो सकता है। चयनात्मक उपलब्धि की ऐसी दशा में प्रारम्भिक वर्षों में ही पुरस्कार दिये जायेंगे। इन पुरस्कारों से निम्न को मान्यता मिलेगी:-

- ❖ खुले में मानव उत्सर्जन को रोकना
- ❖ जानकारी देने में विशिष्ट उपलब्धि
- ❖ संस्थानिक आवंटित कार्यभार और Operational प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन
- ❖ स्वच्छता कम्पेनस में सामुदायिक संगठनों या असरकारी एजेन्सीज को गतिशील करना।

अप्रतिम एवं असाधारण कार्यो हेतु मानद पुरस्कार:-

कई नगरीय क्षेत्रों के लिये यह कठिन हो सकता है कि वे तुरन्त स्वच्छता में समग्र उपलब्धि दिखाये इसलिये एक वर्ष में अधिकतम समग्र उपलब्धि दिखाने वाले शहरों को उनके मूल आधार स्थिति की तुलना में एक पुरस्कार दिया जा सकता है जो उनके द्वारा तरक्की के किये गये प्रयासों को मान्यता देगा। यदि राज्य की योजनाएँ पुरस्कार योजनाओं को लेती है, उपरोक्त श्रेणी के कई कार्यकर्ता राज्य से चुन लिये जायेंगे और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिये भेजे जायेंगे।

वित्तीय व्यवस्था :-

- अ) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय रेटिंग सर्वेक्षणों को निधि देगी और वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह को आयोजित करने के खर्च को वहन करेगी।
- ब) शहर उस निधि का उपयोग करेंगे जिसके लिये वे योग्य होंगे और जो भारत सरकार से सहयोग (JNNURM, UDSSMT, UIDSSST, VAMBAY etc.) प्राप्त के मार्ग दर्शन में होगा।
- स) भारत सरकार निम्न विधियों से शहरों एवं राज्य सरकारों को सहयोग देगी :-
 1. जानकारी देने हेतु एक राष्ट्रीय संचार कम्पेन लांच करना
 2. शहरों के लिये तकनीकी सहयोग एवं मार्ग दर्शन देना (मार्ग दर्शन नोट प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास आदि)
 3. जहाँ प्राविधानित है वहाँ के भारत सरकार सहायतित योजनाओं से निधि की सहायता उपलब्ध कराना और
 4. शहरों के सर्वेक्षण एवं वार्षिक पुरस्कार समारोहों की राष्ट्रीय रेटिंग को निधि देना।

अध्याय-29

स्वच्छता नीति का समापन

स्वच्छता नीति प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्वस्थ एवं स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी देने की ओर केन्द्रित है, एवं इसके अन्तर्गत सफाई स्वास्थ्य विज्ञान, तरल एवं ठोस अपशिष्ट का उचित एकत्रीकरण एवं उसके पर्यावरणीय मानको को मजबूत करने के प्रयोगो को सम्मिलित किया गया है।

2. इस कार्य में अपशिष्ट का घटाया जाना, उसका पुनः प्रयोग, पुनर्चक्र, उपभोग एवं उत्पादन की प्रवृत्ति में बदलाव अन्य अवश्यकरणीय है, जिससे रहन-सहन योग्य पर्यावरण बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण को भी शामिल करने का लक्ष्य है।

3. सभी शहरों को पूर्णतः स्वच्छ, स्वस्थ एवं जीवान्त किये जाने के साथ-साथ नगरीय गरीबो की स्वास्थ्य विज्ञान व स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच पर विशेष जोर दिये जाने की आवश्यकता है।

4. प्रदेश की जनता के जीवन के गुणवत्ता को ऊपर उठाने के लिए समुचित स्वच्छता विस्तार एवं स्वस्थ जीवन के लिए प्राकृतिक पर्यावरण भी उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

5. नगरीय निकाय एवं विकास अधिकारियों द्वारा स्वच्छता के कार्य में लिप्त अन्य सभी संस्थाओं को साथ लेते हुए सभी नगरीय परिवारों के लिये समग्र स्वच्छता योजना भी विकसित किये जाने का लक्ष्य है।

6. पी0पी0पी0 की पहुँच के उद्देश्य के तहत नगरीय निकाय सिद्धहस्त संस्थाओं की सेवाएं लेने के साथ-साथ भागीदारी के लिए प्रोत्साहन हेतु कर छूट भी प्रदान की जायेगी।

7. आपूर्ति एवं उपभोक्ता स्तर पर सभी मूलभूत नगरीय सुविधाओं की गुणवत्ता की नियमित समीक्षा भी की जायेगी।

8. विकसित नियम व नियामकों द्वारा सभी स्वस्थ एवं व्यावसायिक सुविधाओं में प्रभावी अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली को भी उपयोग में लाने के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा एवं ड्रेनेज कार्यक्रमों में पर्यावरणीय स्वास्थ्य सुविधाओ को भी सम्मिलित किया जायेगा।

9. नगरीय निकाय को स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वच्छता की जानकारी देने के लिये वार्षिक योजना भी विकसित की जायेगी।

10. सभी नगरीय निकाय को आन लाइन शिकायते दर्ज कराने हेतु और शिकायतों को दूर करने की प्रणाली के लिये आवश्यक कदम भी उठाये जायेंगे।